प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2012–13

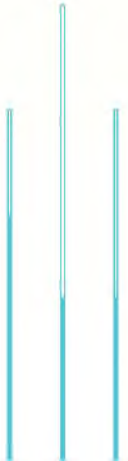

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

विभाग का नाम - आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
भार साधक मंत्री - माननीय श्री केदार कश्यप
संसदीय सचिव - माननीय श्री महेश गागड़ा

मंत्रालय

सचिव	-	श्री मनोज कुमार पिंगुआ
संयुक्त सचिव	-	श्री डी०डी० कुंजाम
उपसचिव	-	डॉ० अनिल चौधरी
वित्तीय सलाहकार	-	श्री ए० के० सिन्हा

विभागाध्यक्ष

आयुक्त	-	श्री एम०एस० परस्ते आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर
संचालक	-	श्री एम०एस० परस्ते, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर

विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	भाग-एक	
1	विभाग की संरचना	1
2	विभाग का परिचय	2-3
3	विभाग का दायित्व एवं कार्य	4-5
4	विभाग के अधीन गठित आयोग/ मण्डल एवं अन्य समितियां	6-9
5	महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी	10-12
	भाग-दो	
6	विभागीय बजट 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 (दिसम्बर 2012 की स्थिति में)	15
7	विभाग द्वारा संचालित योजनाएं 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण	16-24
	भाग-तीन	
8	विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं	27-50
9	छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	51
10	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम	52
	भाग-चार	
11	आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	55-58
12	आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	59-61
	भाग-पांच	
13	अभिनव योजनाएं	65-68
	भाग-छः	
14	आगामी शिक्षण सत्र के लिये प्रस्तावित नवीन योजना	71-72
	भाग- सात	
15	सारांश	75

भाग - एक

छत्तीसगढ़ का मानचित्र

1. विभाग की संरचना

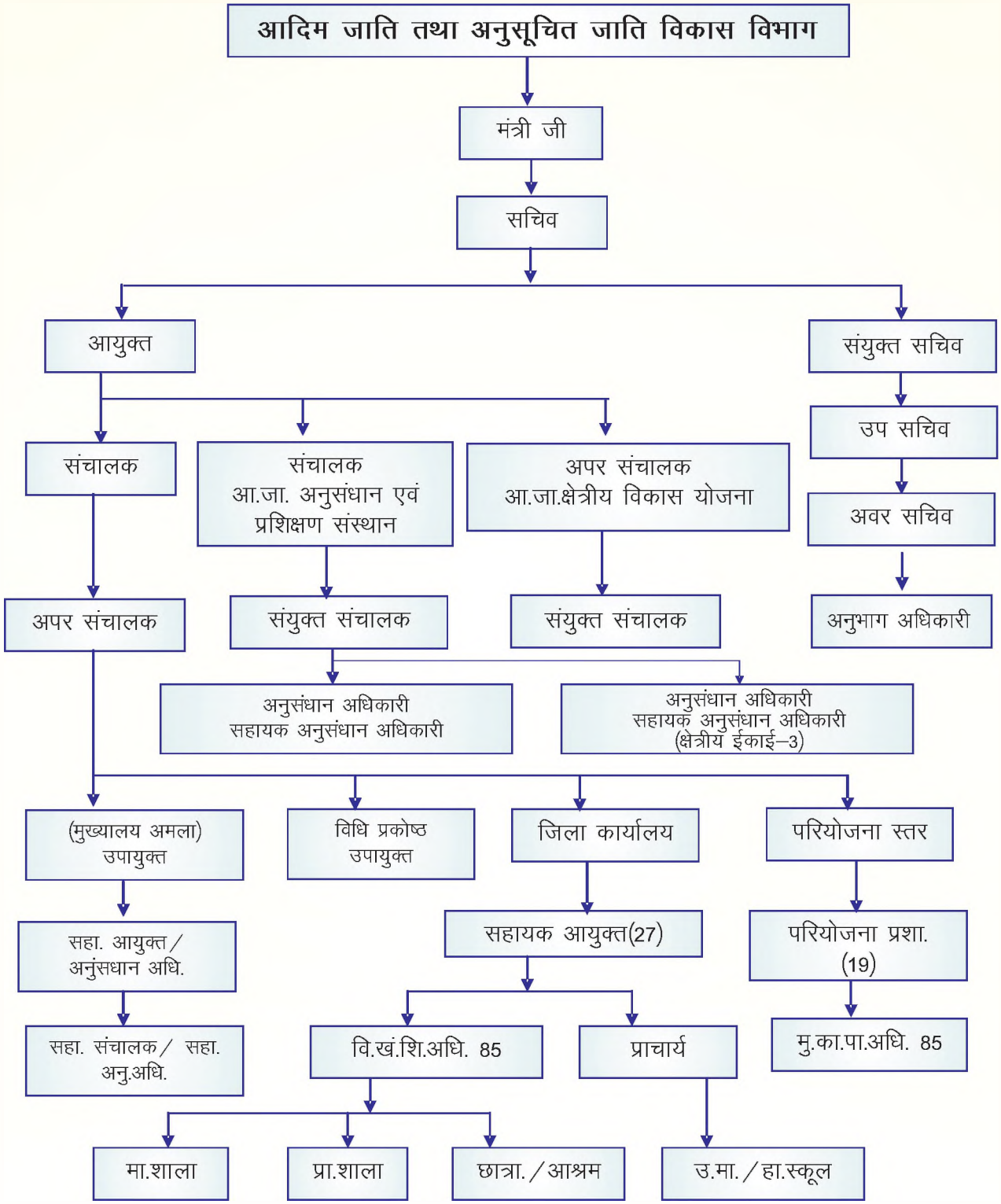
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्री जी
सचिव
आयुक्त
संयुक्त सचिव
संचालक
संचालक आ.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
अपर संचालक आ.जा.क्षेत्रीय विकास योजना
उप सचिव
अवर सचिव
अपर संचालक
संयुक्त संचालक
संयुक्त संचालक
अनुभाग अधिकारी
अनुसंधान अधिकारी सहायक अनुसंधान अधिकारी
अनुसंधान अधिकारी सहायक अनुसंधान अधिकारी (क्षेत्रीय ईकाई–3)
(मुख्यालय अमला) उपायुक्त
विधि प्रकोष्ठ उपायुक्त
जिला कार्यालय
परियोजना स्तर
सहा. आयुक्त / अनुंसधान अधि.
सहायक आयुक्त(27)
परियोजना प्रशा. (19)
सहा. संचालक / सहा. अनु.अधि.
वि.खं.शि.अधि. 85
प्राचार्य
मु.का.पा.अधि. 85
मा.शाला
प्रा.शाला
छात्रा. / आश्रम
उ.मा. / हा.स्कूल

2. विभाग का परिचय

भारत के संविधान के अनुच्छेद-46, में सौंपे गए कर्त्तव्य ''अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि के लिए'' संविधान के अनुच्छेद-244 एवं संविधान के अनुच्छेद-275 (1) में विहित दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान के अनुच्छेद-164 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन किया गया है।

भारत के संविधान में व्यक्त 'सामाजिक न्याय' के संकल्प ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 'समानता के अधिकार' से संपन्न करते हुए उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं।

संविधान की मंशा के अनुरूप आदिवासियों और अनुसूचित जाति के शैक्षणिक विकास एवं आर्थिक उन्नति की योजनाएँ बनीं। उन्हें क्रियान्वित कर संबंधित वर्गों को विकास-यात्रा में शामिल करने के निरंतर प्रयास हुए। इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आए। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदायों की विशिष्ट उपलब्धियां रेखांकित की जाने लगीं है। सामाजिक क्षेत्र में इन वर्गों की प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हुई है। शासन-प्रशासन में इनकी सहभागिता सम्मानजनक रूप से बढ़ी है। फिर भी विकास की यह यात्रा और लंबी है। प्रगति के अनगिनत सोपान अभी और तय किए जाने है।

प्रशासनिक संरचना :-

विभाग की प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत माननीय मंत्री एवं माननीय संसदीय सचिव के निर्देशन में विभाग के प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के दायित्वों का भी निष्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्धता केवल आदिवासियों के विकास के लिए ही नहीं बल्कि उनके उत्पीड़न के अंत के लिए प्रयास भी करना है। साथ ही साथ यह विभाग आदिवासियों के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए समाज के अन्य पिछड़े शोषित एवं वंचित वर्गों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्प हैं।

अ. मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव का पद निर्धारित है। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यो की व्यवस्था एवं अनुश्रवण से संबंधित समस्त प्रशासनिक विभागों के विकास कार्यक्रमों/ योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव के अधिनस्थ विभागीय कार्यो के संपादन के लिए संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, वित्तीय सलाहकार तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी कर्तव्यरत् हैं।

आदिवासी और अनुसूचित जाति समुदायों के विकास की योजनाएँ तैयार कर उन्हें बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का

दायित्व मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय का है। अन्य विकास विभागों से समन्वय की भूमिका भी इस विभाग की है। अतः अनुसूचित वर्गों के समुचित विकास के संदर्भ में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की दोहरी जिम्मेदारी है।

ब. विभागाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ में आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु एक विभागाध्यक्ष पद का सृजन किया गया है। विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त/संचालक होते हैं। आयुक्त/संचालक मुख्यालय अमला एवं क्षेत्रीय अमला के मुख्य नियंत्रणकर्ता अधिकारी होते है। मुख्यालय स्तर पर आयुक्त के अधीनस्थ संचालक, अपर संचालक, उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त एवं अन्य अधीनस्त अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

विधि प्रकोष्ठ :-

विधि प्रकोष्ठ में उच्चतम न्यायालय, उच्चन्यायालय, न्याधिकरणों में प्रस्तुत मामलों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराने, प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत कराने, प्रकरणों का निपटारा कराने, सही समय में शासन का पक्ष प्रस्तुत करने के साथ अनुश्रवण एवं समीक्षा के कार्य किए जाते हैं। विधि प्रकोष्ठ का प्रमुख उपायुक्त स्तर का अधिकारी होता है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में होने के कारण यह कार्यालय भी बिलासपुर में रखे जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय को रायपुर से बिलासपुर स्थानांतरित किया गया है।

स. जिला स्तर

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 27 जिलों में विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्यवन हेतु विभागीय सहायक आयुक्त के पद स्वीकृत हैं, इनके द्वारा मुख्यतः जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति के विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं यथा-छात्रावास, आश्रम, स्कूल का प्रबंधन, अनुश्रवण एवं समीक्षा जिलाध्यक्ष के नियंत्रण में सम्पन्न किया जाता है। सहायक आयुक्त कार्यालय के अधीनस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, माड़ा पाकेट, लघु अंचल विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण होते हैं। प्रदेश के 85 विकास खण्ड आदिवासी विकास खण्ड घोषित हैं। इन विकास खण्डों में 85 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं 85 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 09 माडा पाकेट 02 लघु अंचल तथा 06 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण संचालित हैं।

द. परियोजना स्तर

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आदिवासी जनसंख्या के आधार पर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनएँ संचालित हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय के प्रमुख परियोजना प्रशासक संयुक्त संचालक स्तर के होते हैं। राज्य में कुल 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं।

3. विभाग का दायित्व एवं कार्य :-

- संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का संचालन।
- आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट आवंटन उपलब्ध कराना, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना।
- आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन।
- विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रमों/योजनाओं का संचालन।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अन्य सक्षम वर्गों के द्वारा शोषित एवं उत्पीड़ित किए जाने की स्थिति में शोषित वर्गों को संवैधानिक संरक्षण राहत एवं पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था करने का दायित्व।

विभाग का कार्य :-

- विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- उपयोजना क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं तथा शैक्षणिक विकास की योजनाओं का संचालन।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास की योजनाओं के लिए बजट आबंटन उपलब्ध कराना। मांग संख्या 15,33,41,49,64,66,68 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति, अनसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन।
- आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त बजट आवंटन की निरंतर समीक्षा एवं योजनाओं का अनुश्रवण।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन। केन्द्र प्रवर्तित एवं केंद्र क्षेत्रीय योजनाओं के संचालन का अनुश्रवण।
- विशेष पिछड़े जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।

- अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण-पत्रों का परीक्षण।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के राज्य में क्रियान्वयन की समीक्षा।
- आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत सतत परिवर्तन कर नियमित अनुसंधान एवं समस्याओं का अनवरत आकलन कर वैधानिक समाधान के साथ आवश्यक सुझाव देना।

4. विभाग के अधीन गठित आयोग/मंडल एवं अन्य समितियाँ

1. जनजाति सलाहकार परिषद :-

संविधान की पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में समीक्षा हेतु मान. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय आदिम जाति मंत्रणा परिषद् गठित है। वर्ष 2012 में परिषद् की दो बैठकें क्रमशः 13.07.2012 एवं 25.11.2012 को सम्पन्न हुई। छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्र0/एफ-20-2/25-2/ आजाकवि/2009 रायपुर दिनांक-20 मई 2009 के द्वारा आदिम जाति मंत्रणा परिषद् नियमावली 2006 के उप नियम-3 एवं 4 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ0ग0 राज्य के लिए विभाग के आदेश दिनांक-26.07.2006 द्वारा जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन किया गया था। उक्त आदेश को अधिष्ठित करते हुए राज्य शासन द्वारा जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	नाम अधिकारी/सम्माननीय जनप्रतिनिधि	पद
1.	मान. मुख्यमंत्रीजी	अध्यक्ष
2.	मान. प्रभारी मंत्रीजी, आ.जा. तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान. श्री दिनेश कश्यप, सांसद, बस्तर	सदस्य
4.	मान. श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़	सदस्य
5.	मान. श्री सोहन पोटाई, सांसद कांकेर	सदस्य
6.	मान. श्री राम विचार नेताम, विधायक, पाल (अनु.ज.जा.)	सदस्य
7.	मान. श्री सिद्ध नाथ पैकरा, विधायक सामरी (अनु.ज.जा.)	सदस्य
8.	मान. श्री ओम प्रकाश राठिया, विधायक धरमजयगढ़ (अनु.ज.जा.)	सदस्य
9.	मान. श्री ननकी राम कंवर, विधायक, भरतपुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
10.	मान. श्री फूलचंद सिंह, विधायक, रामपुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
11.	मान. श्री जागेश्वर राम भगत, विधायक, जशपुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
12.	मान. श्री डमरूधर पुजारी, विधायक, बिन्द्रानवागढ (अनु.ज.जा.)	सदस्य
13.	मान. श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, विधायक, डौंडी लोहारा (अनु.ज.जा.)	सदस्य
14.	मान. श्री ब्रम्हानंद विधायक, भानुप्रतापपुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
15.	मान. श्रीमती सुमित्रा मारकोले, विधायक, कांकेर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
16.	मान. श्री सेवकराम नेताम, विधायक, केशकाल (अनु.ज.जा.)	सदस्य
17.	मान. सुश्री लता उसेण्डी, विधायक, कोण्डागांव (अनु.ज.जा.)	सदस्य
18.	मान. डॉ. सुभाउ कश्यप, विधायक, बस्तर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
19.	मान. श्री भीमा मण्डावी, विधायक, दंतेवाड़ा (अनु.ज.जा.)	सदस्य
20.	मान. श्री महेश गागड़ा, विधायक, बीजापुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
21.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग	सचिव

विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनित सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य रहेंगें जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे, अन्य सदस्य परिषद् में उनके मनोनयन की तारीख सें एक वर्ष की अवधि तक परिषद् के सदस्य रहेंगे।

2. राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति :-

राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रावधानों के क्रियान्वयन तथा अन्य संबंधित बिन्दुओं की समीक्षा हेतु मान.मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति गठित है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2012 में समिति की 02 बैठकें क्रमशः 06.07.2012 एवं 19.12.2012 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की जा चुकी हैं एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की 70 बैठकें आयोजित की गई है।

3. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग :-

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम - 1995 के प्रावधानों के अनुसार तीन सदस्यीय आयोग गठित है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष पद पर माननीय श्री देवलाल दुग्गा दिनांक 31.05.2010 से पदस्थ हैं। आयोग के दो अशासकीय सदस्यों के पदों पर दिनांक 08.08.2011 से श्री सुकदेव तांती एवं श्री रामकिशुन सिंह पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु प्रावधानित राशि रुपये 125.00 लाख है, जिसमें से रुपये 125.00 लाख जारी किया जा चुका है। द्वितीय अनुपूरक बजट अनुमान में रु. 10.00 लाख प्रावधान प्राप्त हुआ है।

4. राज्य अल्पसंख्यक आयोग :-

राज्य के अधीन अल्पसंख्यकों को संवैधानिक प्रगति का मूल्यांकन, अल्पसंख्यक के विरूद्ध किसी भेदभाव के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन/दूर करने के उपाय, अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विषयों का अध्ययन/अनुसंधान/विश्लेषण के उद्देश्य के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 के धारा-3(2) के तहत श्री दिलीप सिंह होरा, अध्यक्ष तथा श्री मुर्तजा बनक सदस्य हैं। वर्ष 2012-13 में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के स्थापना व्यय हेतु राशि रु. 90.00 लाख का प्रावधान है, जिसमें से राशि 90.00 लाख का आवंटन भी वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जा चुका है।

5. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग :-

अन्य पिछड़ा वर्ग के जातियों के सतत् पहचान, खोजबीन तथा फर्जी जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त करने, शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए, सुझाव देने तथा इस वर्ग के हितप्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1995 के प्रावधान अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों के नियुक्ति की गई है। वर्तमान में माननीय डॉ0 सोमनाथ यादव, अध्यक्ष

हैं । वर्ष 2012-13 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना व्यय हेतु राशि रु. 90.00 लाख का प्रावधान है, जिसमें से राशि रु. 90.00 लाख का आवंटन भी वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जा चुका है ।

6. राज्य अनुसूचित जाति आयोग :-

राज्य में अनुसूचित जाति के हित प्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है । वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष पद पर माननीय डॉ0 कृष्ण कुमार बांधी दिनांक 27.12.2010 से पदस्थ हैं आयोग के दो अशासकीय सदस्यों के पद रिक्त हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में आयोग के स्थापना व्यय हेतु रुपये 90.00 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से रुपये 90.00 लाख जारी किया जा चुका है।

7. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम :-

राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु अंत्यावसायी सहाकारी वित्त एवं विकास निगम संचालित है। प्रदेश के सभी जिलों में निगम की जिला इकाईयाँ कार्यरत हैं। वर्तमान में निगम के अध्यक्ष पद पर श्री विजय गुरु दिनांक 04.04.2012 से तथा उपाध्यक्ष पद पर श्री जे.सी.मेश्राम दिनांक 16.11.2012 से पदस्थ हैं।

8. राज्य हज कमेटी :-

हज कमेटी एक्ट 2002 के प्रावधान अनुसार राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 06.03.2006 के पालन में हज कमेटी का गठन किया गया है । हज कमेटी का पुर्नगठन दिनांक 15 मार्च 2009 को राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 17 फरवरी 2009 के आधार पर किया गया है। हज कमेटी का मुख्य कार्य प्रदेश के हज यात्रियों के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था करना, सेंट्रल हज कमेटी एवं विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुरूप हज यात्रियों की व्यवस्था, हज यात्रियों के आवेदन पत्र प्राप्त करना, पंजीयन, चयन, प्रशिक्षण, टीकाकरण, पासपोर्ट आदि तैयार करवाना है। वर्ष 2012-13 में हज कमेटी की स्थापना व्यय हेतु राशि रु.- 70.00 लाख का प्रावधान है, जिसमें से राशि रु. 70.00 लाख का आवंटन जारी किया जा चुका है। द्वितीय अनुपूरक में राशि रु. 50.00 लाख का प्रावधान प्राप्त हुआ है। हज कमेटी में माननीय डॉ0 सलीम राज अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य है।

9. छ०ग० राज्य वक्फ बोर्ड :-

वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छ0ग0 राज्य वक्फ बोर्ड का गठन अधिसूचना दिनांक 21.07.2003 द्वारा किया गया है। वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्य - मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान व दरगाह, ईदगाह की देख-रेख, केन्द्रीय वक्फ

अधिनियम-1995 के तहत् निर्देशों का पालन, मुतवल्लियों का चुनाव सम्पन्न करना। बोर्ड में अध्यक्ष पद पर माननीय मोहम्मद सलीम अशरफी एवं 10 सदस्य है। वर्ष 2012-13 के स्थापना व्यय हेतु राशि रुपये- 70.00 लाख का प्रावधान है, जिसमें से राशि रु. 70.00 लाख का आवंटन जारी किया जा चुका है।

10. राज्य उर्दू अकादमी :-

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 01.10.2003 द्वारा उर्दू अकादमी का गठन किया गया। अकादमी का कार्य छ0ग0 में उर्दू भाषा, तालिम एवं उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयत्न करना, नये रचनात्मक/आलोचनात्मक उर्दू साहित्य प्रकाशन/साहित्य सम्मेलन, परिचर्चा, गोष्ठियों बीमार लेखकों को माली मदद करना आदि हैं। वर्तमान में श्री सलीम मेमन, अध्यक्ष एवं श्री रिजवान पटवा उपाध्यक्ष हैं। वर्ष 2012-13 में राज्य उर्दू अकादमी के स्थापना व्यय हेतु रुपये 40.00 लाख प्रावधान है, जिसमें से राशि रु. 40.00 लाख का आवंटन जारी किया जा चुका है।

11. वक्फ अधिकरण :-

वक्फ संपत्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिए राज्य में वक्फ अधिकरण गठित है, पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना कर ली गई है। वक्फ अधिकरण द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पीठासीन अधिकारी के पद पर माननीय श्री एन0एस0 सांकला (जिला एवं सत्र न्यायधीश) के पद पर पदस्थ है, वर्ष 2012-13 में वक्फ अधिकरण के स्थापना व्यय हेतु राशि रु. 38.20 लाख प्रावधान है, जिसमें से राशि रु. 38.20 लाख का आवंटन जारी किया जा चुका है।

12. विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण :-

छ0ग0 राज्य में निवासरत् 05 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रदेश स्तर पर 6 विशेष अभिकरण हेतु अभिकरण स्तर पर गवर्निंग बाडी गठित है। जिसका अध्यक्ष संबंधित विशेष पिछड़ी जनजाति का सदस्य मनोनीत किया गया है। भारत सरकार के द्वारा प्रदेश के बैगा, पहाड़ी कोरबा, अबुझमाड़िया, कमार एवं बिरहोर जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्य की गई है तथा उक्त जनजातियां रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, रायपुर, धमतरी, कोरबा, बिलासपुर, कवर्धा, नारायणपुर जिलों में निवास करती है।

13. आवासीय विद्यालय समिति :-

भारत सरकार द्वारा निर्देशित राज्य के आठ एकलव्य आवासीय विद्यालय के संचालन के लिए एक आवासीय विद्यालय समिति गठित है। मान.विभागीय मंत्री इस समिति के संचालक मंडल के पदेन अध्यक्ष तथा आयुक्त आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग पदेन सचिव है।

5. महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी

1.	राज्य का क्षेत्रफल	135133 वर्ग कि.मी.
1.1	राज्य का अनुसूचित क्षेत्र	81,861.88 वर्गकिमी.
1.2	राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	88000 वर्गकिमी.
1.3	राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत	65.12
2.	जनगणना (2001)	
2.1	कुल जनसंख्या	208.34 लाख
2.2	अनुसूचित जनजाति	66.16 लाख 31.76%
2.3	अनुसूचित जाति	24.18लाख 11.61%
3.(अ)	साक्षरता का प्रतिशत (वर्ष 2001)	
	3.1 औसत	64.70%
	3.2 पुरुष	77.4%
	3.3 महिला	51.90%
3.(ब)	अनुसूचित जनजाति की साक्षरता	
	3.1 औसत	52.20
	3.2 पुरुष	65.00
	3.3 महिला	39.30
3.(स)	अनुसूचित जाति की साक्षरता	
	3.1 औसत	63.09
	3.2 पुरुष	78.70
	3.3 महिला	49.20
4.	राजस्व जिला	27
4.1	पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, सूरजपुर, बलरामपुर सरगुजा, कोरिया, कोरबा, जशपुर।	13
4.2	आंशिक रूप से आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित क्षेत्र में शामिल शेष जिले गरियाबंद, बलौदाबाजार, बालोद, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, धमतरी, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम	11
5.	आदिवासी विकासखंड	85
6.	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना	19
7	माडा पाकेट	09
8.	लघु अंचल	02
9.	विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण	06

नोट - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छतीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या 25540196 है तथा साक्षरता का प्रतिशत 74.04 है। जिसमें से महिला साक्षरता 65.46 तथा पुरुष साक्षरता 82.14 प्रतिशत है।

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान के पांचवी अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-दो, अनुभाग-तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी वर्ष 2003 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़

1. सरगुजा जिला (संपूर्ण)
2. कोरिया जिला (संपूर्ण)
3. बस्तर जिला (संपूर्ण)
4. दंतेवाड़ा जिला (संपूर्ण)
5. कांकेर जिला (संपूर्ण)
6. कोरबा जिला (संपूर्ण)
7. जशपुर जिला (संपूर्ण)
8. बीजापुर जिला (संपूर्ण)
9. नारायणपुर जिला (संपूर्ण)
10. बिलासपुर जिले के मरवाही, गौरेला-1 एवं गौरेला-2 आदिवासी विकास खण्ड सामुदायिक विकासखंड का कोटा राजस्व निरीक्षक खंड।
11. दुर्ग जिले में डौण्डी आदिवासी विकासखंड।
12. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला आदिवासी विकासखंड।
13. रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुर और छुरा आदिवासी विकास खंड।
14. धमतरी जिले में नगरी (सिहावा) आदिवासी विकासखंड।
15. रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया आदिवासी विकासखंड ।

प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

क्र.	जिला	परियोजना	माडा	लघु अंचल
1.	बस्तर	1. जगदलपुर		
2.	कोण्डागांव	2. कोण्डागांव		
3.	नारायणपुर	3. नारायणपुर		
4.	कांकेर	4. भानुप्रतापपुर		
5.	दन्तेवाड़ा	5. दन्तेवाड़ा		
6.	सुकमा	6. कोन्टा		
7.	बीजापुर	7. बीजापुर		
8.	गरियाबन्द	8. गरियाबन्द		
9.	बलौदाबाजार		1. बालोदाबाजार	1. धुरीबंधा
10.	धमतरी	9. नगरी	2. गंगरेल	
11.	महासमुंद		3. महासमुंद-1	4. महासमुंद-2
12.	बालोद	10. डोण्डीलोहारा		
13.	राजनांदगांव	11. राजनांदगांव	5. नचनियां	2. बछेराभाटा
14.	कबीरधाम		6. कबीरधाम	
15.	सरगुजा	12. अंबिकापुर		
16.	सूरजपुर	13. सूरजपुर		
17.	बलरामपुर	14. पाल		
18.	कोरिया	15. बैकुण्ठपुर		
19.	कोरबा	16. कोरबा		
20.	बिलासपुर	17. गौरेला		
21.	जांजगीर-चांपा		7. रूकजा	
22.	रायगढ़	18. धरमजयगढ़	8. गोपालपुर,	
			9. सारंगढ़	
23.	जशपुर	19. जशपुरनगर		

भाग - दो

वर्ष 2012–13 का बजट प्रावधान

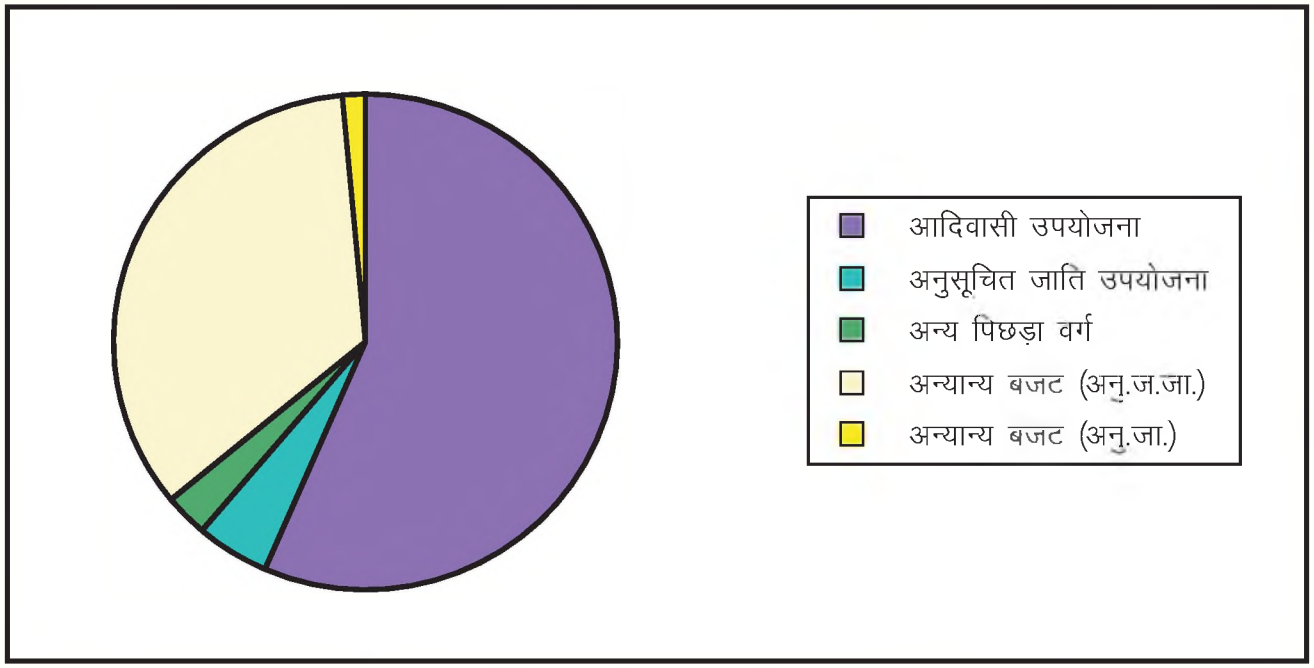

6. विभागीय बजट

विभागीय बजट (2010–2011)

(राशि लाखों में)

क्रमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	आदिवासी उपयोजना	135576.00	123029.99	90.75
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	13121.80	10230.19	77.96
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	5774.00	5534.02	95.84
4	अन्यान्य बजट (अनु0ज0जा0)	88402.60	78022.05	88.26
5	अन्यान्य बजट (अनु0जा0)	3560.70	3691.47	100.00
	योग-	**246435.10**	**220507.72**	**89.48**

विभागीय बजट (2011–2012)

(राशि लाखों में)

क्रमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	आदिवासी उपयोजना	162201.30	143606.25	88.54
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	22116.00	18178.69	82.19
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	8622.40	7954.82	92.26
4	अन्यान्य बजट (अनु0ज0जा0)	98658.10	84421.46	85.57
5	अन्यान्य बजट (अनु0जा0)	4177.30	3942.53	94.38
	योग-	**295775.10**	**258103.75**	**87.26**

विभागीय बजट (2012–2013) अक्टूबर 2012 की स्थिति में

(राशि लाखों में)

क्रमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	आदिवासी उपयोजना	180311.05	53010.26	41.35
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	15022.80	3586.20	23.87
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	8858.60	4412.35	59.81
4	अन्यान्य बजट (अनु0ज0जा0)	110039.70	48270.71	43.87
5	अन्यान्य बजट (अनु0जा0)	4703.80	1876.91	39.90
	योग-	**318935.95**	**111156.43**	**34.85**

7. विभाग द्वारा संचालित विकास योजनाएँ

(अ) राज्य योजनाएँ (अनुसूचित जनजाति)

(राशि लाखों में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2010 – 2011				वर्ष 2011 – 2012				वर्ष 2012 – 2013 अक्टूबर 2012 की स्थिति में			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राज्य छात्रवृत्ति	4200.00	4083.88	छात्र/ छात्राएँ	960630	4365.00	3441.41	छात्र/ छात्राएँ	867528	5025.00	2885.76	1203708	906567
2	मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1660.00	1660.00	छात्र/ छात्राएँ	88545	2100.00	1976.40	छात्र/ छात्राएँ	65952	2300.00	1959.19	150000	वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन
3	आश्रम शाला योजना	11172.50	8847.15	छात्र/ संस्था	75496	13863.80	6718.37	छात्र/ छात्राएँ	74936	14831.00	4594.69	छात्र/ छात्राएँ	75200
4	छात्रगृह योजना	11.00	6.26	छात्र/ छात्राएँ	280	12.00	6.67	छात्र/ छात्राएँ	200	15.00	1.00	छात्र/ छात्राएँ	250
5	माध्यमिक शिक्षा मंडल को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	40.00	14.65	छात्र/ छात्राएँ	3662	60.00	8.00	छात्र/ छात्राएँ	2000	60.00	14.20	जिला	02
6	छात्रावास योजना	8890.95	8579.09	छात्र/ छात्राएँ	52499	11277.80	6634.02	छात्र/ छात्राएँ	54054	13323.40	4198.01	छात्र/ छात्राएँ	55200
7	प्राथमिक शाला	40871.96	32029.25	संस्था	16580	44452.00	212.00	संस्था	177278	265.00	79.00	संस्था	16920
8	माध्यमिक शाला	31538.50	32435.69	संस्था	6202	46603.00	110.00	संस्था	6646	163.00	72.00	संस्था	6547
9	हाईस्कूल	2572.50	3055.54	संस्था	577	3080.00	227.99	संस्था	639	228.00	92.93	संस्था	935
10	उच्चतर माध्यमिक शाला	16621.00	14657.21	संस्था	661	19246.50	382.44	संस्था	709	430.00	156.60	संस्था	778
11	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	3099.00	3087.96	संस्था	नियमित30	4052.40	4049.02	संस्था	नियमित30 एकमुश्त102	4004.80	3172.22	संस्था	नियमित30
12	प्रावीण्य छात्रवृत्ति	3.00	2.55	छात्र/ छात्राएँ	364	3.00	0.93	छात्र/ छात्राएँ	225	3.00	0.34	666	212
13	आगमन भत्ता	70.00	64.00	छात्र/ छात्राएँ	9433	70.40	0.19	छात्र/ छात्राएँ	8907	77.00	34.50	छात्र/ छात्राएँ	13500
14	विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन	1277.40	1132.92	छात्र/ छात्राएँ	2455	1533.00	1013.11	छात्र/ छात्राएँ	2595	2180.10	923.02	छात्र/ छात्राएँ	4305

(राशि लाखों में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2010 – 2011				वर्ष 2011 – 2012				वर्ष 2012 – 2013 अक्टूबर 2012 की स्थिति में			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना 41/2202 एवं 64/2202	1600.00	1450.92	छात्र/ छात्राएँ	1054	1030.00	982.82	छात्र/ छात्राएँ	1036	158.00	792.05	छात्र/ छात्राएँ	1207
16	छात्रावास/आश्रम एवं शाला भवनों का निर्माण	4478.76	4478.76	अपूर्ण भवनों को पूर्ण करने के लिए	108	1740.00	1740.00	09 कार्य4	5	2500.00	500.00	40 कार्य	गति में
17	परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	40.00	0	छात्र/ छात्राएँ	0	40.00	11.98	छात्र/ छात्राएँ	250	229.20	7.63	छात्र/ छात्राएँ	154
18	शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार एवं स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान	15.00	14.51	व्यक्ति/ संस्था लोक का आयोजन	02व्यक्ति/ संस्था लोक कला महोत्सव का आयोजन	15.00 कला महोत्सव	15.00	व्यक्ति/ संस्था	02 पुरस्कार	15.00	15.00	व्यक्ति/ संस्था	05 पुरस्कार
19	आदिवासी अन्वेषण संस्था	98.30	45.86	वेतन भत्तेव	वेतन भत्ते	127.60	56.82	`तन भत्त	वेतन भत्ते1	07.30	69.05	वेतन भत्ते	वेतन भत्ते आदि
20	हाइस्कूल में अध्ययनरत अनु.ज.जा.छात्राओं को निशुल्कसायकल प्रदाय	820.00	793.68	छात्राएँ	28447	820.00	820.00	छात्राएँ	32907	1092.40	1092.40	छात्राएँ	36928
21	निशुल्क गणवेश प्रदाय योजना	665.00	665.00	छात्र/ छात्राएँ	431439	1342.70	350.28	छात्र/ छात्राएँ	519000	900.00	900.00	छात्र/ छात्राएँ	477695
22	छात्र भोजन सहाय योजना	150.00	139.19	छात्र/ छात्राएँ	10405	177.00	0.27	छात्र/ छात्राएँ	11024	200.00	82.08	छात्र/ छात्राएँ	13500
23	कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना	250.00	209.73	छात्र/ छात्राएँ	20437	275.00	0.02	छात्र/ छात्राएँ	-	275.00	0.00	—	संचालित नहीं।
24	विशेष शिक्षण केन्द्र ट्यूशन योजना	166.50	161.15	छात्र/ छात्राएँ	21062	150.00	29.29	छात्र/ छात्राएँ	21944	175.00	0.00	छात्र/ छात्राएँ	22120
25	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (अनु.जनजाति)	330.00	324.79	छात्र/ छात्राएँ	53799	360.00	175.36	छात्र/ छात्राएँ	55000	360.00	215.00	छात्राएँ	43000

विभाग द्वारा संचालित विकास योजनाएँ

(अ) राज्य योजनाएं (अनुसूचित जाति)

(राशि लाखों में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2010 – 2011				वर्ष 2011 – 2012				वर्ष 2012 – 2013 अक्टूबर 2012 की स्थिति में			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राज्य छात्रवृत्ति	1475.00	1474.95	छात्र/ छात्राएँ	399288	1625.00	1052.60	छात्र/ छात्राएँ	328983	1700.00	1048.44	5684.00	282856
2	मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1482.40	1481.78	छात्र/छात्राएँ	75798	1460.00	1199.00	छात्र/छात्राएँ	41985	2100.00	678.00	---	वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन
3	अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति	200.00	196.70	छात्र/ छात्राएँ	16529	200.00	143.20	छात्र/ छात्राएँ	9917	300.00	184.00	26621	22433
4	छात्रगृह योजना	16.00	9.72	छात्र/छात्राएँ	425	17.50	5.00	छात्र/छात्राएँ	350	17.50	0.21	छात्र/छात्राएँ	400
5	आश्रम शाला योजना	751.10	679.23	छात्र/ छात्राएँ	2628	728.50	555.34	छात्र/	2692	1030.20	402.46	छात्र/ छात्राएँ	3000
6	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	325.00	237.70	संस्था	नियमित03 एकमुश्त11	420.00	400.11	संस्था	नियमित03 एकमुश्त 21	395.00	266.14	संस्था	नियमित03
7	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	77.20	59.11	प्रशिक्षणार्थी व तथा वेतन भत्ते	तन भत्ते मात्र	81.90	4.12	प्रशिक्षणार्थी था वेतन भत्ते	250	128.20	48.86	प्रशिक्षणार्थी तथा वेतन भत्ते	122
8	छात्रावास योजना	2766.70	2708.72	छात्र/संस्था	12158	3707.00	2164.23	छात्र/संस्था	12151	3819.50	1264.12	छात्र/संस्था	13150
9	निशुल्क गणवेश प्रदाय योजना	70.00	70.00	छात्र/ छात्राएँ	44000	330.00	330.00	छात्र/ छात्राएँ	56925	150.00	150.00	छात्र/ छात्राएँ	53103
10	आगमन भत्ता	25.00	17.39	छात्र/संस्था	3116	26.80	18.19	छात्र/संस्था	3053	26.80	9.90	छात्र/संस्था	4315
11	हाईस्कूल में अध्ययनरत अनु0जा0छात्राओं को निशुल्क सायकल प्रदाय	123.00	114.98	छात्राएँ	3655	125.00	120.00	छात्राएँ	4393	172.00	172.00	छात्राएँ	5804
12	छात्र भोजन सहाय योजना	65.00	57.82	छात्र/ छात्राएँ	3483	71.00	58.47	छात्र/ छात्राएँ	3471	80.00	33.19	छात्र/ छात्राएँ	4420
13	कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना (अनु.जाति)	160.00	157.60	छात्राएँ	22796	170.00	170.00	छात्राएँ	34000	170.00	80.00	छात्राएँ	16000
14	मेघावी छात्रों उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना	100.00	99.80	छात्र/ छात्राएँ	142	180.00	177.74	छात्र/ छात्राएँ	169	180.00	150.00	छात्र/ छात्राएँ	60

अन्य पिछडा वर्ग

(राशि लाखों में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2010 – 2011				वर्ष 2011 – 2012				वर्ष 2012 – 2013 अक्टूबर 2012 की स्थिति में			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राज्य छात्रवृत्ति	1800.00	1797.94	छात्र/ छात्राएँ	923593	2450.00	1818.25	छात्र/ छात्राएँ	565165	2650.00	1427.49	1460.00	590598
2	मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2500.00	2500.00	छात्र/ छात्राएँ	111586	3500.00	2726.04	छात्र/ छात्राएँ	81828	3850.00	2613.00	192500	वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन
3	हाई स्कूल में अध्ययनरत पि0वर्ग छात्राओं को नि:शुल्क सायकल	300.00	297.34	छात्राएँ	11983	365.00	365.00	छात्राएँ	13774	515.00	515.00	छात्राएँ	17475

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना

(राशि लाखों में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2010 – 2011				वर्ष 2011 – 2012				वर्ष 2012 – 2013 अक्टूबर 2012 की स्थिति में			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
									10				
1	अस्वच्छ धंधो में लगे लोगों के बच्चो के लिए छात्रवृत्ति	392.00	359.51	छात्र/ छात्राएँ	16529	225.26	168.09	21300	9172	100.00	--	26621	--
2	अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजना	12.00	11.50	शिविर	18 जिले	12.00	8.03	शिविर	21 शिविर	22.00	8.50	शिविर	09 जिले
3	आ.जा./आ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम पुर्नवास	120.00	127.50	हितग्राही	572	150.00	143.81	हितग्राही	546	130.00	37.30	हितग्राही	382
4	अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	20.00	11.12	दम्पत्ति	54	20.00	19.71	दम्पत्ति	61	30.00	24.00	दम्पत्ति	63
5	छात्रावास आश्रम भवन निर्माण (64/4202)	400.00	63.75	03कार्य	निर्माणाधीन	-	-	-	-	-	-	-	-

(राशि लाखों में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2010 – 2011				वर्ष 2011 – 2012				वर्ष 2012 – 2013 अक्टूबर 2012 की स्थिति में			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	छात्रावास तथा आश्रम भवन निर्माण (41/4202)	8486.90	500.00	136कार्य1	6 कार्य-		-	-	-	1000.00	-	12	-
7	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास	211.00	166.04	वेतन भत्ते	वेतन भत्ते	257.90	182.37	वेतन भत्तेअ	वेतन भत्ते ादि	271.20	109.15	वेतन भत्तेव आदि	`तन भत्ते आदि
8	छात्रावास लघु निर्माण (66/4225)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन	13200.00	11679.10	छात्र/ छात्राएँ	930043	13200.00	11906.77	छात्र/ छात्राएँ	962356	13200.00	5863.93	छात्र/ छात्राएँ	1052749
10	पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	4600.00	4503.54	छात्र/ छात्राएँ	454295	4600.00	4681.33	छात्र/ छात्राएँ	467363	6500.00	3712.54	छात्र/ छात्राएँ	543190

(स) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएँ :-

(राशि लाखों में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2010 – 2011				वर्ष 2012 – 2012				वर्ष 2012 – 2013 अक्टूबर 2012 की स्थिति में			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अंतर्राष्ट्रीय निधि कृषि विकास सहायता अंतर्गत आदिवासी विकास समिति को अनुदान	378.00	560.00	भू संवर्धन कार्यक	भू-संवर्धन ार्यभ	38.00	72.61	वेतन/भत्तेभ ू संवर्धन कार्य	`तन/भत्ते भू संवर्धन कार्य	120	86.01	वेतन/ भत्ते/ कार्य	वेतन/ भत्ते/ कार्य

आदिवासी उपयोजना		
वर्ष	बजट प्रावधान	(राशि करोड़ में) व्यय
2010-11	1355.76	1230.30
2011-12	1622.01	1436.08
2012-13(दिसम्बर की स्थिति में)	1853.32	618.69

आदिवासी उपयोजना – बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

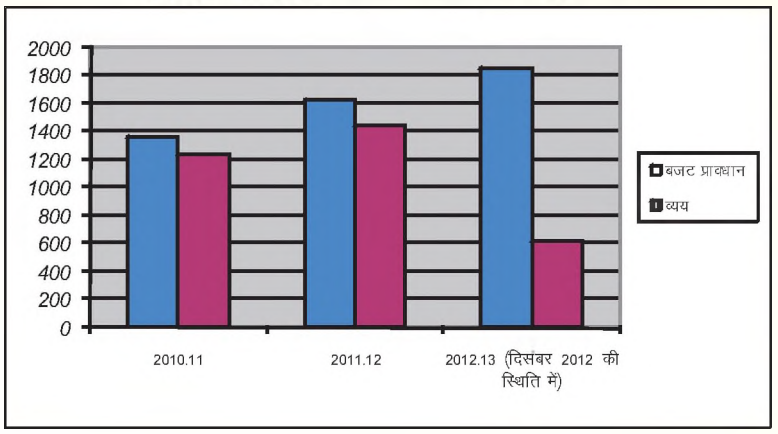

अनुसूचित जाति उपयोजना		
वर्ष	बजट प्रावधान	(राशि करोड़ में) व्यय
2010-11	131.22	102.30
2011-12	221.16	181.79
2012-13(दिसम्बर की स्थिति में)	165.04	42.49

अनुसूचित जाति उपयोजना – बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

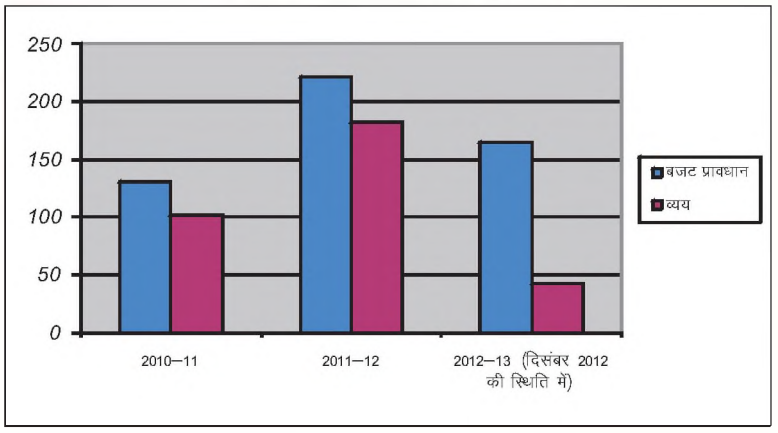

(द) विशेष केन्द्रीय सहायता (आदिवासी उपयोजना)

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2010 – 2011					वर्ष 2011 – 2012					वर्ष 2012 – 2013 अक्टूबर 2012 की स्थिति में				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	आदिवासी अंचलों में स्थानीय विकास कार्य	32.40	31.85	31.85	कार्य	18	54.50	33.79	33.79	12	12	54.50	38.00	निरंक	निरंक	निरंक
2	विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण	635.90	635.29	635.28	कार्य	198	777.40	644.00	644.50	180	180	777.40	650.00	–	–	--
3	एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम	7026.30	6990.89	6970.14	कार्य	3016	8784.40	6942.86	6942.86	3287	3287	12147.30	8113.00	–	–	--
4	माड़ा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम	611.20	611.16	611.16	कार्य	294	804.70	654.83	654.83	210	210	977.00	677.00	–	–	--
5	वन ग्रामों का विकास -3874	1500.00	1500.00	1500.00	कार्य	विभिन्न चरणों में कुल 415 कार्य प्रगति सहित	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1197.20	1197.20	–	–	–

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति)

(राशि लाखों में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2010 – 2011					वर्ष 2011 – 2012					वर्ष 2012 – 2013 अक्टूबर 2012 की स्थिति में				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	910.00	910.18	910.18	छात्र/ छात्राएँ	88545	1827.00	345.97	346.45	छात्र/ छात्राएँ	73332	1900.00	890.00	890.00	150000	वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन
2	व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा अन्य प्रभार	300.00	अप्राप्त	निरंक	हितग्राही	0	300.00	107.865	107.865	संस्था	11	300.00	अप्राप्त	--	संस्था	11
3	अ.ज.जा. छात्रों के प्रावीण्य में उन्नयन	54.60	30.37	30.37	विद्यार्थी1	40	45.00	भारत सरकार से राशि अप्राप्त	अप्राप्त	विद्यार्थी	0	45.00	54.00	45.00	संस्था	140 छात्र/ छात्राएं
4	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना	2.00	अप्राप्त	निरंक	सामग्री पूर्तिप	अप्राप्त	2.00	अप्राप्त	निरंक	सामग्री ूर्तिप	अप्राप्त	2.00	अप्राप्त	निरंक	सामग्री ूर्ति	अप्राप्त

आदिवासी उपयोजना

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2010 – 2011					वर्ष 2011 – 2012					वर्ष 2012 – 2013 अक्टूबर 2012 की स्थिति में				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	आदिवासी विद्यालय समिति को अनुदान 275 (1)	500.00	500.00	500.00	विद्या0	10	1480.10	412.92	412.92	2450	412.92	1500.00	13.32	13.32	आवासीय विद्यालय में 2760 छात्र छात्राएं	796.00
2	आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	7026.30	6990.89	6970.14	कार्य	147	2836.00	2835.88	2835.88	718	718	2836.00	2000.00	–	–	--
3	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार 275 (1)	7975.00	6562.40	6554.90	कार्य	783	7777.48	7376.80	7376.80	855	855	9293.30	5950.00	–	–	–

अनुसूचित जाति उपयोजना (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना)

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2010 – 2011					वर्ष 2011 – 2012					वर्ष 2012 – 2013 अक्टूबर 2012 की स्थिति में				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	पो0मे0 छात्रवृत्ति	230.00	0	0	छात्र/ छात्राएं	75798	2457.80	787.20	765.52	छात्र/ छात्राएँ	45063	1000.00	854.89	__	77811	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है
2	अनुसूचित जाति छात्रों के प्रावीण्य में उन्नयन	35.50	21.60	21.60	छात्र/ छात्राएंछ	70	16.35	12.26	10.10	छात्र/ त्राएँ	16.00	12.30	10.94	10.94	छात्र/ छात्राएँ	105

भाग - तीन

8. विभाग के द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ

- विभागीय छात्रावासों का संचालन
- विभागीय आश्रमों का संचालन
- शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन
- राज्य छात्रवृत्ति
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति(अनुसूचित जाति/जनजाति)
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति(पिछड़ा वर्ग)
- अस्वच्छ धंधे में कार्यरत लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति
- अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति
- निःशुल्क गणवेश प्रदाय
- जवाहर अनुसूचित जाति उत्कर्ष विद्यार्थी योजना
- जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष विद्यार्थी योजना
- निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण
- मध्यान्ह्न भोजन कार्यक्रम योजना (एम.डी.एम.)
- छात्र भोजन सहाय योजना
- प्रावीण्य उन्नयन योजना (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना)
- छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना
- छात्रावासी विद्यार्थियों की कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना
- स्वस्थ तन - स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना
- मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना
- एकलव्य आवासीय विद्यालय
- शिक्षा सहयोग योजना
- अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को राज्य अनुदान
- स्वैच्छिक संगठनों को भारत सरकार से अनुदान
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की युवतियों/युवकों के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना
- एयर होस्टेज, एविएशन, हॉस्पिटालिटी एवं हॉटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रशिक्षण योजना
- अनु.ज.जा.एवं अनु.जा. के युवाओं को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना
- लोक मित्र (नाई पेटी) योजना
- रविदास चर्म शिल्प योजना
- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 अंतर्गत राहत योजना
- आदिवासी/अनु.जाति राहत योजना
- सम्मान एवं पुरस्कार
- लोककला महोत्सव
- आदिवासी सांस्कृतिक दलों का सहायता योजना
- जनजातियों के पूजा स्थल (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास
- जनश्री बीमा योजना

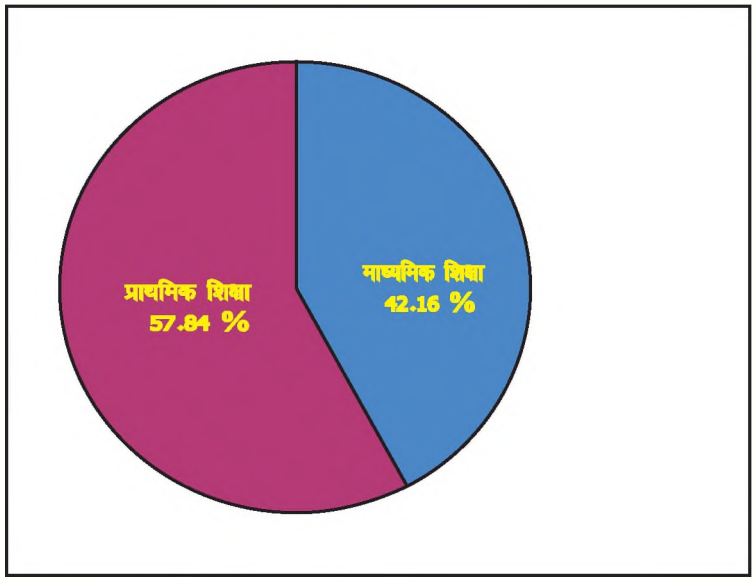

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का बजट (2012-13) में अंश

विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों की जानकारी

शैक्षणिक सत्र 2012–13 की स्थिति में

छात्रावास/आश्रम-समस्त वर्ग

अनु.क्र.	वर्ग	छात्रावास/आश्रमों की संख्या				स्वीकृत सीट्स
		प्री. मैट्रिक	पोस्ट मैट्रिक	आश्रम	योग	
1.	अनुसूचित जनजाति	1254	265	1153	2672	144472
2.	अनुसूचित जाति	331	78	51	460	21400
3.	अन्य पिछड़े वर्ग	08	08	0	16	900
	योग	**1593**	**351**	**1204**	**3148**	**169522**

अनुसूचित जनजाति छात्रावास

शैक्षणिक सत्र 2012–13

छात्रावास का नाम	संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
पोस्ट मैट्रिक	131	134	265	7255	7520	14775
प्री-मैट्रिक	866	388	1254	35730	20237	55967
योग	**997**	**522**	**1519**	**42985**	**27757**	**70742**

अनुसूचित जाति छात्रावास

शैक्षणिक सत्र 2012–13

छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावास की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
पोस्ट मैट्रिक	43	35	78	2500	2000	4500
प्री-मैट्रिक	190	140	331	7100	6870	13970
योग	**233**	**176**	**409**	**9600**	**8870**	**18470**

नोट :- 1. पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत छात्र/छात्राओं को शिष्यवृत्ति नहीं दी जाती है। केवल छात्रावासी दर से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें वर्ष 2007-08 से प्रतिमाह 200 रुपये की दर से पौष्टिक आहार के रूप में भोजन सहाय राशि दी जाती है।

2. प्री0 मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को रु. 450/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु. 650/- प्रतिमाह की दर से वर्ष 2011-12 से शिष्यवृत्ति भुगतान किया जा रहा है।

अनुसूचित जनजाति आश्रम

शैक्षणिक सत्र 2012–13

आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या				स्वीकृत सीट्स			
	बालक	कन्या	संयुक्त	योग	बालक	कन्या	संयुक्त	योग
माध्यमिक आश्रम	33	50	03	86	3105	4800	300	8205
प्राथमिक आश्रम	488	326	254	1068	32120	20250	15905	68275
योग	**521**	**376**	**257**	**1154**	**35225**	**25050**	**16205**	**76480**

अनुसूचित जाति आश्रम

शैक्षणिक सत्र 2012–13

आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या				स्वीकृत सीट्स			
	बालक	कन्या	संयुक्त	योग	बालक	कन्या	संयुक्त	योग
माध्यमिक आश्रम	01	02	00	03	50	220	00	270
प्राथमिक आश्रम	24	22	02	48	1300	1260	100	2660
योग	**25**	**24**	**02**	**51**	**1350**	**1480**	**100**	**2930**

पिछड़ा वर्ग छात्रावास

शैक्षणिक सत्र 2012–13

छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावास की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
पोस्ट मैट्रिक	02	06	08	100	400	500
प्री-मैट्रिक	03	05	08	150	250	400
योग	**05**	**11**	**16**	**250**	**650**	**900**

विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी

1. शैक्षणिक गतिविधियाँ :-शिक्षा संबंधी सांख्यिकीय जानकारी

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं की सांख्यिकीय जानकारी निम्नानुसार है:-

संस्था का नाम	संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या
प्राथमिक शाला सर्व शिक्षा अभियान सहित	16920	942158
माध्यमिक शाला सर्व शिक्षा अभियान सहित	6547	486518
हाई स्कूल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सहित	935	252299
उच्चतर माध्य. शाला	778	146817
आदर्श बालक उच्चतर माध्यमिक शाला(आवासीय)	05	1295
कन्या शिक्षा परिसर(आवासीय)	05	1185
कन्या शिक्षा परिसर(प्राथमिक स्तर)(आवासीय)	02	280
गुरुकुल विद्यालय(आवासीय)	01	245
खेल परिसर(आवासीय)	13	1300
आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय	12	2760
कुल योग	**24094**	**1834857**

आदिवासी क्षेत्र में बेहतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2012-13 में 100 हाईस्कूलों का हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में उन्नयन किया गया है। इसके अन्तर्गत दूरस्थ अंचल के करीब 5000 छात्रों को शैक्षणिक लाभ मिल रहा है।

2. राज्य छात्रवृत्तिः-

- प्रदेश के लगभग 31.00 लाख आरक्षित वर्ग के छात्र/छात्राओं को जो विभिन्न स्तर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् हैं, के शैक्षणिक विकास एवं प्रोत्साहन के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियाँ विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं।
- कक्षा 3 से 5वीं के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को तथा कक्षा 6वीं से 10वीं तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र/छात्राओं को तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार है :-

1. कक्षा 3री से 5वीं (छात्राएँ) - रुपये 250 प्रति वर्ष (10 माह हेतु)
2. कक्षा 6वीं से 8वीं :-
   - अ. बालक - रु. 300 प्रति वर्ष (10माह हेतु अ.जा., अ.ज.जा.)
     रुपये 150 प्रति वर्ष (10 माह हेतु, पि.वर्ग)
   - ब. बालिका - रु. 400 प्रति वर्ष (10 माह हेतु, अ.जा.,अ.ज.जा.)
     रुपये 225 प्रति वर्ष (10 माह हेतु, पि.वर्ग)
3. कक्षा 9वीं से 10वीं :-
   - अ. बालक - रु. 400 प्रति वर्ष (10 माह हेतु अ.जा., अ.ज.जा.)
     रुपये 225 प्रति वर्ष (10 माह हेतु पि.वर्ग)
   - ब. बालिका - रु. 500 प्रति वर्ष (10 माह हेतु अ.जा., अ.ज.जा.)
     रुपये 300 प्रति वर्ष (10 माह हेतु पि.वर्ग)

- छात्रवृत्ति का भुगतान प्रथम चार माह के लिए सितम्बर तक तथा शेष छः माह के लिए जनवरी तक भुगतान किए जाने के निर्देश हैं।
- वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति के कुल 486445, अनुसूचित जनजाति के 1116520 एवं पिछड़ा वर्ग में 1336898 छात्र/छात्राएँ लाभान्वित हुए है। इसके लिए क्रमशः 1625.92 लाख, 3824.24 लाख एवं 2524.55 लाख की राशि स्वीकृत की गई हैं।
- वर्ष 2012-13 में जिलों को आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। अनुसूचित जाति के 568400 अनुसूचित जनजाति के 1203708 तथा पिछड़ा वर्ग के 1460000 छात्र/छात्राओं को स्वीकृति दी गई है। वितरण की कार्यवाही जारी है।

3. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनु०जा० एवं अ०ज०जा०):-

➢ कक्षा 11वीं एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। अनुसूचित जनजाति के रु. 2.00 लाख तथा अनुसूचित जाति हेतु 2.00 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार के छात्र/छात्राएँ इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं। छात्रवृत्ति की दरें दिनांक 01.07.2010 से निम्नानुसार लागू है :-

समूह	छात्रवृत्ति की दरें			
	अनुसूचित जनजाति (माहवार दरें)		अनुसूचित जाति (माहवार दरें)	
	छात्रावासी	दिवा छात्र	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह-1- औषधि (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियों) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु- चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान। वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी-इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम (एम.फिल, पीएच. डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान)	1200	550	1200	550
समूह-2- समूह-1 में शामिल न किए गए अन्य व्यावसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नातकोत्तर (एम.फिल., पी.एच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान) स्तरीय पाठ्यक्रम। सी.ए./ आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस. आदि पाठ्यक्रम। सभी स्नातकोत्तर, स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सभी प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम।	820	530	820	530
समूह-3- स्नातक या इससे अधिक की डिग्री के सभी अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह-1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं)	570	300	570	300
समूह -4 - समूह '2' या '3' में शामिल न किए गए 10+2 पद्धति में कक्षा 11 तथा 12 और इंटरमीडिएट परीक्षा आदि जैसे ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम। आई टी आई पाठ्यक्रम, अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्र (न्यूनतम वांछित योग्यता कम से कम मेट्रिकुलेशन है)	380	233	380	233

➢ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जनजाति के 1002626 तथा अनुसूचित जाति के 96210 छात्र/छात्राएँ लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए क्रमशः 32861.25 एवं 3753.33 लाख की राशि स्वीकृत/वितरित की गई है। वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 4200.00 लाख तथा अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में कुल 3100.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही ई-बैकिंग के माध्यम से किया जा रहा है।

4. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पिछड़ा वर्ग)

➢ पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रु. 1,00,000/- तक वार्षिक आय होने पर छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क की पात्रता

समूह	अध्ययन का वर्ष	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये)			
		छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
अ -मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ- डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
इ- सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
ई- सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स- कक्षा - 11 वीं		100	110	50	60
कक्षा - 12 वीं		100	110	55	70

➢ पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2011-12 में 129419 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए 4254.40 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2012-13 में योजना अंतर्गत कुल राशि रु. 3900.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है। स्वीकृति की कार्यवाही ई-छात्रवृत्ति के माध्यम से की जा रही है।

आनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

प्रदेश के अनुसूचित जनजाति/जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शासन द्वारा संचालित की जा रही है। विगत कुछ वर्षो से छात्रों की बढ़ती संख्या के साथ छात्रवृत्ति की समय पर स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित करने में प्रशासन को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा समय पर छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण विद्यार्थीयों को समस्या का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए इस वर्ष से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया का कम्प्यूटराईजेशन किया जाकर ऑनलाइन आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था की गई है तथा राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को "शिक्षा संगी छात्रवृत्ति" कार्ड आबंटित किए जा रहे हैं। उपरोक्त कार्ड हेतु विद्यार्थियों को किसी प्रकार का बैंक खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होगी।

किसी विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करके बायोडाटा की प्रविष्टि एक बार करने के पश्चात् उसे पूरे अध्ययनकाल में छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी और प्रतिवर्ष नया आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। "शिक्षा संगी छात्रवृत्ति" कार्ड में छात्रवृत्ति की राशि जमा होने की सूचना विद्यार्थियों को मोबाइल पर SMS से दी जाएगी। सूचना मिलते ही राशि का आहरण किसी भी बैंक के ATM से कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ATM न होने के कारण कई केन्द्रों पर "बिजनेस करेसपॉडेंट" (BC) की व्यवस्था की गई है। इन केन्द्रों पर ATM की भाँति राशि आहरित किया जा सकता है।

वर्तमान में छात्रवृत्ति का वितरण करने के लिए ऑनलाइन स्वीकृति करके राशि सीधे छात्रों को "शिक्षा संगी छात्रवृत्ति कार्ड" में जमा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सत्र 2012-13 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आने वाले 3.50 लाख विद्यार्थियों को "शिक्षा संगी छात्रवृत्ति कार्ड" देने का लक्ष्य है। अब तक पोर्टल पर छात्रवृत्ति कार्ड से छात्रवृत्ति पाने के लिए 3.74 लाख विद्यार्थी रजिस्टर्ड हो चुके हैं।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन करने हेतु वेब पोर्टल तैयार करने में NIC भोपाल द्वारा किए गए पॉयनियर वर्क के फलस्वरूप e-scholarship योजना को वर्तमान शिक्षण सत्र में लागू किया जा सका तथा छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु लीड बैंक के रूप में सेंट्रल बैंक द्वारा जीरो बैलेंस पर निःशुल्क ATM कार्ड वितरण के फलस्वरूप योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से प्रारंभ किया जा सका।

5. अस्वच्छ धंधे में कार्यरत् लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति :-

- अस्वच्छ व्यवसाय, जैसे मरे हुए जानवरों का चमड़ा उतारना, शुष्क शौचालयों की सफाई करने वालों, चर्मशोधन से जुड़े लोगों के बच्चों को प्री0मै0 स्तर तक (कक्षा 10वीं तक) छात्रवृत्ति दी जाती है।
- उपर्युक्त छात्रवृत्ति के लिए भारत सरकार द्वारा दिनाँक-01.04.2008 से निम्न दरें निर्धारित की गई हैं:-
- **कक्षा - छात्रवृत्ति की दरें**

  1 से 2 तक - 110 रुपये प्रतिमाह (10 माह हेतु 1100 रुपये)

  कक्षा 3 से 10 तकं - 110 रुपये प्रतिमाह (10 माह हेतु 1100 रुपये)
- **छात्रावास में रहने के लिए छात्रवृत्ति की दरें**

  3 से 10 तक - 700 रुपये प्रतिमाह (10 माह हेतु 7000 रु.)
- उपर्युक्त के अतिरिक्त दिवा छात्रों/छात्रावासी छात्रों को क्रमशः रुपये 750 तथा रुपये 1000 वार्षिक तदर्थ अनुदान दिया जाता है।
- इस योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल 21469 छात्र/छात्राओं के लिए राशि रुपये 405.25 लाख व्यय किए गए हैं।
- इस योजना के लिए वर्ष 2012-13 में राशि रुपये 300.00 लाख का बजट प्रावधान है।

6. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति :-

भारत सरकार, अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी समुदाय) के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा के लिए पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाएँ प्रारंभ की गई है :-

1. मैट्रिक पूर्व (प्री.मैट्रिक) छात्रवृत्ति
2. मैट्रिकोत्तर (पो.मैट्रिक) छात्रवृत्ति
3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

1. मैट्रिक पूर्व (प्री.मैट्रिक) छात्रवृत्ति :-

क्रमांक	विवरण		छात्रावासी	दिवा स्कालर
1.	कक्षा 1ली से 5वीं तक		-	100/- प्रतिमाह (10 माह हेतु)
2.	कक्षा 6वीं से 10वीं तक	प्रवेश शुल्क	500/- प्रतिवर्ष	500/- प्रतिवर्ष
		शिक्षण शुक्ल	350/- प्रतिमाह	350/- प्रतिमाह (10 माह हेतु)
		भरण पोषण भत्ता	600/- प्रतिमाह	100/- प्रतिमाह

पात्रता :-

- पिछली वार्षिक परीक्षा से (कक्षा 1 को छोड़कर) 50 प्रतिशत या अधिक अंक।
- पालक की वार्षिक आय 1.00 लाख से अधिक न हो।

प्रगति :-

इस योजनांतर्गत वर्ष 2011-12 में 12610 छात्रों को रु. 387.26 लाख स्वीकृत की गई है। वर्ष 2012-13 में 19818 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु मुख्य बजट में राशि रु. 600.00 लाख (रु. 450.00 लाख केन्द्रांश तथा रु. 150.00 लाख राज्यांश) तथा द्वितीय अनुपूरक में 1116.056 लाख (रु. 837.042 लाख केन्द्रांश तथा रु. 279.014 लाख राज्यांश) का बजट प्रावधान है।

क्रमांक	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर
1.	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं	7000/- प्रतिवर्ष	7000/- प्रतिवर्ष
2.	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क कक्षा 11वीं एवं 12वीं स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	10,000/- प्रतिवर्ष	10,000/- प्रतिवर्ष
3.	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क स्नातक एवं स्नाकोत्तर	3000/- प्रतिवर्ष	3000/- प्रतिवर्ष
4.	अनुरक्षण भत्ता(10 माह हेतु) 1. कक्षा 11वीं से 12वीं एवं इस स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	380/- प्रतिमाह	230/- प्रतिमाह
	2. स्नातक एवं स्नाकोत्तर तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम छोड़कर	570/- प्रतिमाह	300/- प्रतिमाह
	3. एम.फिल. और पी.एच.डी.	1200/- प्रतिमाह	550/- प्रतिमाह

पात्रता :-

- जिन्होंने पिछली वार्षिक परीक्षा में 50% या अधिक अंक प्राप्त किया हो।
- जिनके पालक की सभी स्रोतों से आय रुपये 2.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो।

प्रगति :-

इस योजनांतर्गत वर्ष 2011-12 में 1864 छात्रों को रु. 153.982 लाख स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2012-13 में 4708 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु राशि रु. 270.00 लाख का बजट प्रावधान है।

3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति :-

क्रमांक	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर
1.	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु)	रु. 1000/- प्रतिमाह की दर से कुल रू. 10,000/-	रू. 500/- प्रति माह की दर से कुल 5000/-
2.	पाठ्यक्रम शुल्क	रु. 20,000/- प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो।	रू. 20,000/- वार्षिक या वास्तविक जो भी कम हो।

पात्रता :-

- यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जाएगी जिनका चयन मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यावसायिक संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा में प्रावीण्य के आधार पर हुआ है।
- यदि विद्यार्थी का प्रवेश बिना प्रतियोगी परीक्षा के हुआ है, तो वे भी छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे, बशर्ते उनका हायर सेकेण्डरी/स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत हो।
- पालक की सभी स्रोतों से आय रुपये 2.50 लाख वार्षिक से अधिक न हो।

प्रगति :-

इस योजनांतर्गत वर्ष 2011-12 में 140 छात्रों को रुपये 37.853 लाख स्वीकृत की गई है। वर्ष 2012-13 में 297 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु राशि रुपये 105.00 लाख का बजट प्रावधान है।

7. निःशुल्क गणवेश प्रदाय :-

- प्रदेश के आदिवासी अंचल में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने, शिक्षा त्यागने की प्रवृत्ति कम करने एवं शिक्षा के प्रति सतत जागरुकता बढ़ाने के लिए आदिवासी विकास खण्डों में अध्ययनरत छात्राओं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्रों को गणवेश वितरण किया जाता है। वर्ष 2012-13 में कुल संख्या 530798 छात्र/छात्राओं को गणवेश प्रदाय किया गया है।
- वर्ष 2012-13 में वित्तीय प्रावधान एवं भौतिक उपलब्धि की जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

वर्ग	प्रावधान	भौतिक उपलब्धि
अनुसूचित जनजाति	900.00	4,77,625
अनुसूचित जाति	150.00	53,103
योग-		**5,30,798**

8. जवाहर अनुसूचित जाति उत्कर्ष विद्यार्थी योजना :-

- शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट मानदंड स्थापित करने वाले मँहगे पब्लिक स्कूलों एवं समकक्ष संस्थाओं की मँहगी फीस के कारण इन विद्यालयों में उच्च सम्भ्रान्त परिवार के बच्चे ही प्रवेश ले पाते है। प्रतिभावान गरीब अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र इससे वंचित रह जातें हैं, इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना के माध्यम से प्रतिभावान अनुसूचित जाति वर्ग के 50 छात्रों को कक्षा 6वीं में एवं 20 छात्रों का कक्षा 9वीं में राज्य स्तर पर चयन कर, राज्य के बेहतर परिणाम देने वाले स्कूलों में कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में प्रवेश दिलाया जाता है। इन शालाओं में पढ़ने वाले चयनित छात्र/छात्राओं का सम्पूर्ण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना में वर्ष 2012-13 में रुपये 180.00 लाख का प्रावधान है, एवं अब तक कुल 229 छात्र/छात्राएँ लाभान्वित हो रहे है।

9. जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष विद्यार्थी योजना :-

- शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ठ मानदंड स्थापित करने वाले मँहगे पब्लिक स्कूलों एवं समकक्ष संस्थाओं की मँहगी फीस के कारण इन विद्यालयों में उच्च समभ्रान्त परिवार के बच्चे ही प्रवेश ले पाते हैं। प्रतिभावान गरीब आदिवासी छात्र इससे वंचित रह जाते हैं, इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना के माध्यम से प्रतिभावान 130 आदिवासी छात्रों को राज्य स्तर पर चयन कर, राज्य के बेहतर परिणाम वाले पब्लिक स्कूलों में कक्षा 6वीं में 100 एवं 9वीं में 30 छात्रों को प्रवेश दिलाया जाता है। इन शालाओं का सम्पूर्ण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाता है।
- इस योजना में वर्ष 2012-13 में अब तक कुल- 967 छात्र/छात्राएँ लाभांवित हो रहे हैं।
- इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 1400.00 लाख का प्रावधान है।

10. निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना :-

- आदिवासी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति नदी, पहाड़, ग्रामों से ग्राम तक की दूरी एवं विरल जनसंख्या के कारण छात्राओं की शिक्षा बाधित होती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिकाओं की हाईस्कूल तक की शिक्षा को सुगम बनाने हेतु सायकल प्रदाय करने की योजना वर्ष 2004-05 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2006-07 से विशेष पिछडी जनजाति के बालकों को सायकल प्रदाय की जा रही है। वर्ष 2007-08 से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सामान्य तथा अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं को भी इसकी पात्रता है। वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 36,928 अनुसूचित जाति के 5804, पिछड़ा वर्ग के 17413 तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के 1331 इस प्रकार कुल-61476 बालिका/बालकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2012-13 से विभागीय अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को भी निःशुल्क सायकल प्रदाय की जा रही है। जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के 962, अनुसूचित जाति 60 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 226 छात्राओं को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है।

➢ वर्ष 2012-13 में निम्नानुसार सायकल वितरित की गई है:-

(राशि लाखों में)

वर्ग	विभागीय संख्या		अनुदान प्राप्त संस्था	
	प्रावधान	वितरित सायकल	प्रावधान	वितरित सायकल
अनुसूचित जाति	172.00	5804	8.00	60
अनुसूचित जनजाति	1092.42	36928	45.90	962
विशेष पिछड़ी जनजाति	38.32	1331	–	--
अन्य पिछड़ा वर्ग	515.00	17413	13.50	226
योग :-	**1817.74**	**61476.00**	**67.40**	**1248**

निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना की उल्लेखनीय उपलब्धि :-

➢ योजना प्रारंभ वर्ष 2004-05 से निरन्तर बालिका दर्ज संख्या में वृद्धि।

➢ कक्षा 9वीं में जेंडर गैप वर्ष 2010-11 से शून्य तथा बालिकाओं की संख्या बालकों से अधिक।

➢ 2005-06 से 2011-12 में बालकों की दर्ज संख्या में दोगुनी वृद्धि जबकि इसी अवधि में बालिकाओं की दर्ज संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई।

(राशि रूपये में)

क्रमांक	वर्ष	बालक	बालिका	जेंडर गैप
1	2005-06	58564	39042	19522
2	2006-07	70491	51673	18818
3	2007-08	75727	59631	16096
4	2008-09	78756	62016	16740
5	2009-10	104814	93033	11781
6	2010-11	108595	108680	-85
7	2011-12	118671	119483	-812

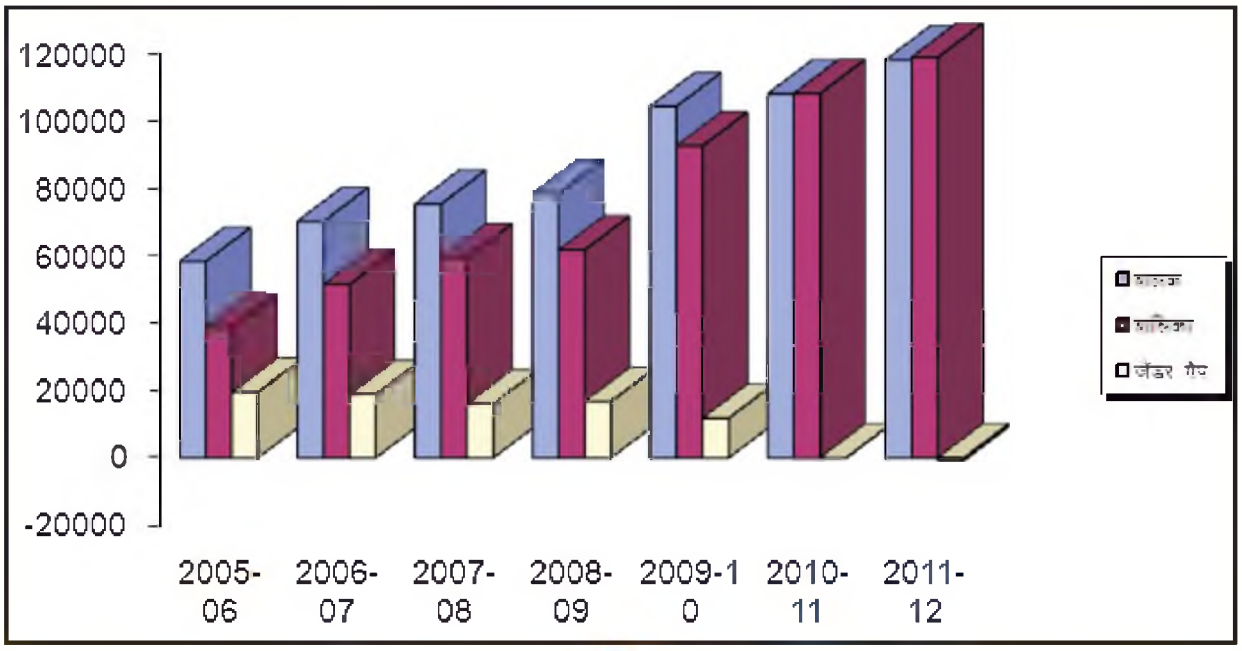

11. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरणः-

- कक्षा 1ली से 8वीं तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पाठ्य पुस्तकों का वितरण सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है।
- विभागीय संस्थाओं के कक्षा 9वीं से 10वीं में अध्ययनरत् समस्त छात्राओं को हाईस्कूल तक की शिक्षा के प्रति रुझान एवं प्रोत्साहन की दृष्टि से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की योजना वर्ष 2005-06 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2012-13 में कक्षा 9वीं से 10वीं तक कुल-2,71,900 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

12. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना (एम.डी.एम.) :-

राज्य के 85 आदिवासी विकासखण्डों के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन योजना संचालित है। इस योजना अंतर्गत प्राथमिक शालाओं के प्रति छात्र प्रति कार्यदिवस 100 ग्राम चावल के मान से एवं माध्यमिक शालाओं के प्रति छात्र प्रति कार्यदिवस 150 ग्राम चावल के मान से केन्द शासन द्वारा चावल निःशुल्क प्रदाय किया जाता है।

भोजन करते हुए

प्राथमिक शालाओं के लिए प्रति छात्र रु. 3.65/- प्रतिदिन एवं माध्यमिक शालाओं के लिए रु. 4.70/- प्रतिदिन के लिए कुकिंग कास्ट की राशि निर्धारित है, जिससे ईंधन, दाल, सब्जी, नमक, तेल की व्यवस्था होती है।

रसोईया के मानदेय हेतु पृथक से प्रति रसोईया प्रतिमाह 1000/- के मान से मानदेय की व्यवस्था निर्धारित है। पोषण आहार की कमी को दूर करने के उद्देश्य से योजनांतर्गत प्रतिदिन शाला में ही गरम भोजन पकाकर परोसने की व्यवस्था है।

13. छात्र भोजन सहाय योजनाः-

- भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रावासी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियाँ उनके मात्र भोजन की पूर्ति कर पाती है। छात्रावासी विद्यार्थियों के बढ़ते उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पोषण आहार के लिए अतिरिक्त राशि प्रदाय करने के लिए छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005-06 से प्रारंभ की गई हैं।
- इसके अंतर्गत प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 200/- रुपये उपलब्ध कराया जाता है। यह राशि पूर्व से प्राप्त हो रही छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है।
- योजना के तहत् वर्ष 2012-13 के लिए बजट प्रावधान एवं लक्ष्य की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ग	प्रावधान	भौतिक लक्ष्य
अनुसूचित जाति	80.00	3300
अनुसूचित जनजाति	200.00	11279
योग -	**280.00**	**14579**

14. प्रावीण्य उन्नयन योजना (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना) :-

यह योजना भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा शतप्रतिशत सहायतार्थ राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र-छात्राओं के प्रावीण्य उन्नयन की योजना जुलाई 1999 से प्रारम्भ की गई है। इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों हेतु रु. 15000/- एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों हेतु रु. 19500/- प्रति विद्यार्थी के मान से व्यय किए जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

15. छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजनाः-

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में अच्छे शिक्षकों का अभाव बना रहता है जिसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत् विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं, फलस्वरूप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर का नहीं रहता है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रावासों/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर कर प्रावीण्यता बढ़ाना है, जिससे इस वर्ग के छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सकें। विषयों की कमजोरी को दूर करने हेतु विशेष शिक्षण प्रदान करने हेतु 146 विकास खण्ड़ों पर विशेष शिक्षण केन्द्र योजना प्रारंभ की गई है।

वर्ष 2012-13 में इस हेतु 225.00 लाख प्रावधानित है। इससे लगभग 35000 विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे।

16. छात्रावासी विद्यार्थियों की कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनाः-

वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। विश्व में रोज आविष्कार, परिवर्तन एवं विकास हो रहे हैं। सूचनाओं एवं जानकारियों का आदान-प्रदान एवं संचार अति तीव्र है। यह सब कम्प्यूटर के कारण संभव हुआ है। इस बदलते हुए परिदृश्य से अद्यतन रहने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावास/आश्रमों में रहने वाले कक्षा 6वीं से विद्यार्थियों को कम्प्यूटर फ्रेंडली बनाने हेतु कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है।

योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्रावास/आश्रम में तीन माह का पाठ्यक्रम निर्धारित कर कम्प्यूटर का प्रेक्टिकल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

छात्रावास/आश्रमों में अध्ययनरत् कक्षा 6वीं से ऊपर के विद्यार्थियों को छात्रावास में ही कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना तैयार की गई है। इस हेतु वर्ष 2012-13 के बजट में 355.00 लाख का प्रावधान था।

17. स्वस्थ्य तन - स्वस्थ्य मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना :-

इस योजना अन्तर्गत विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में प्रवेशित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य् परीक्षण एवं उपचार की व्यवस्था की जाएगी। यह योजना 2007-08 के बजट में प्रथम बार प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2012-13 के लिए इस योजना अंतर्गत राशि रु.110.00 लाख का प्रावधान है। जिसमें 39850 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

18. मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :-

कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मेधावी छात्र जो बोर्ड की परीक्षा में कम से कम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते है, उन्हें रुपये 10,000 प्रतिवर्ष एक मुश्त छात्रवृत्ति दिया जाता है। इस योजना अन्तर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के 300 विद्यार्थी एवं अनुसूचित जनजाति के 700 विद्यार्थी का चयन किया जाएगा। अनुसूचित जाति के कक्षा 10वीं के 150 एवं कक्षा 12वीं के 150, इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के कक्षा 10वीं के 350 कक्षा 12वीं के 350 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इसके लिए वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति हेतु 30.00 लाख व अनुसूचित जनजाति हेतु 70.00 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया है। वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जनजाति के 700 छात्र/छात्राओं का चयन किया गया तथा 300 अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को लाभ दिया गया। इस प्रकार कुल-1000 छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया गया।

19. एकलव्य आवासीय विद्यालय :-

राज्य शासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। इसमें 6 बालक तथा 2 कन्या, 4 संयुक्त इस प्रकार कुल-12 आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक 60 सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को प्रवेश देना है। वर्ष 2012-13 में रु 1160.00 लाख का बजट प्रावधान है।

'शिक्षा के साथ अनुशासन का पाठ'
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शिवप्रसाद नगर, जिला- सूरजपुर

20. शिक्षा सहयोग योजना :-

विभागीय आश्रमों में निवासरत अधिकांश विद्यार्थी बी.पी.एल. परिवारों से आते हैं। आर्थिक विपन्नता के कारण इन बच्चों के पास शाला में उपस्थित होने बाबत् साज-सज्जा हेतु जूते, मोजे, स्वेटर एवं स्कूल बैग जैसी मूलभूत सामग्री का भी अभाव होता है।

अतः विद्यार्थियों को उपरोक्त मूलभूत सामग्री उपलब्ध कराने बाबत् वर्ष 2010-11 के बजट से शिक्षा सहयोग योजना नाम से नई योजना प्रस्तावित की गई है।

पायलट बेसिस पर इसका क्रियान्वयन सरगुजा जिले के भैयाथान एवं ओड़गी विकासखण्ड के 30 छात्रावास/आश्रमों में किया जा रहा है। इस योजना से 1490 छात्र लाभान्वित होंगे। आगामी वर्षों में योजना के परिणाम का मूल्यांकन करते हुए अन्य विकासखण्डों में भी क्रमशः विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

21. अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को राज्य अनुदानः-

अनुसूचित जाति, जनजाति के हितार्थ कार्य कर रही अशासकीय संस्थाओं को विभागीय अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 में प्रावधानों के अनुसार अनुदान दिया जाता है। इस हेतु वर्ष 2012-13 में प्रावधान निम्नानुसार है :-

अनुदान प्राप्त संस्थाएं,	प्रावधान (लाखों में)	आबंटन (लाखों में)
33 नियमित संस्थाओं को अनुदान	4399.80	3438.36

22. स्वैच्छिक संगठनों को भारत सरकार से अनुदान :-

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार राज्य में, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण/उत्थान हेतु संचालित प्रवृत्तियों/गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) के प्रस्ताव शासन स्तर पर स्वैच्छिक संगठनों के सहायतार्थ राज्य स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 2012-13 में भारत सरकार को अनुदान स्वीकृति कि लिए प्रेषित प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है :-

अनुसूचित जनजातियों (संवर्ग) के स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव

क्रमांक	अनुदान हेतु संस्थाएँ	वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि
1	08 संस्थाओं के नवीनीकरण प्रस्ताव	1,82,52,570/-
2	09 संस्थाओं के नवीन प्रस्ताव	38,43,183/-

अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (संवर्ग) के स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव

क्रमांक	अनुदान हेतु संस्थाएँ	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि
1	01 संस्थाओं के नवीनीकरण प्रस्ताव	5,24,700/-
2	02 संस्थाओं के नवीन प्रस्ताव	18,21,420/-

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव

क्रमांक	अनुदान हेतु संस्थाएँ	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि
1	03 संस्थाओं के नवीनीकरण प्रस्ताव	1,59,00,000/-

अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) हेतु अनुदान स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव

क्रमांक	अनुदान हेतु संस्थाएँ	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि
1	01 नवीन प्रस्ताव हेतु प्रस्तावित राशि	53,70,000/-

टीप - भारत सरकार को उक्त प्रेषित प्रस्ताव की स्वीकृति संबंधी जानकारी अप्राप्त है।

23. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की युवक/युवतियों के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजनाः-

देश-विदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर विकास एवं विस्तार परिलक्षित हो रहा है। शासकीय एवं निजी क्षेत्रों में अस्पताल, नर्सिंग होम स्थापित होने के फलस्वरूप इनमें योग्य एवं प्रशिक्षित नर्सों की माँग बढ़ने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवतियों को बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन की सुविधा दिलाकर रोजगार का मार्ग प्रशस्त्र करने हेतु यह योजना वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत अध्ययन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2010-11 में चयनित 17 संस्थानों में अनुसूचित जाति के 155 तथा अनुसूचित जनजाति के 245 इस प्रकार कुल-400 छात्र/छात्राएँ अध्ययन कर रहें हैं। "वर्ष 2011-12 में प्रशिक्षण हेतु 22 संस्थानों में अनुसूचित जाति 155 एवं अनुसूचित जनजाति के 245 छात्राओं को सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2012-13 हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

24. एयर होस्टेस, एविएशन, हॉस्पिटालिटी एवं हॉटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रशिक्षण योजना :-

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को एयर होस्टेस का प्रशिक्षण देने हेतु योजना वर्ष 2006-07 से प्रारंभ की गई है। इस प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। वर्ष 2010-11 में 91 युवतियों का चयन कर प्रशिक्षण दिलाया गया है, जिसमें 36 युवतियाँ अनुसूचित जनजाति वर्ग की तथा 55 युवतियाँ अनुसूचित जाति वर्ग की है। वर्ष 2011-12 हेतु 120 युवतियों का चयन कर प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।

रायपुर स्थित संस्थान में प्रशिक्षणरत बालिकाएँ

25. अनु.ज.जा.एवं अनु.जा. के युवाओं को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजनाः-

- प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 2008-09 से निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2008-09 में इस योजना के तहत 66 अनुसूचित जनजाति तथा 62 अनुसूचित जाति इस प्रकार कुल-128 युवक लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2009-10 में 199 अनुसूचित जनजाति तथा 124 अनुसूचित जाति वर्ग के युवकों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2012-13 में 345 अनु0ज0जा0 तथा 155 अनुसूचित जाति वर्ग के युवकों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है।

26. लोक मित्र (नाई पेटी) योजना :-

ग्रामों में बाल काटने के परंपरागत व्यवयासय को प्रोत्साहन देकर स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2006-07 से प्रारंभ की गई है। योजना के प्रथम चरण में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, बिलासपुर, कबीरधाम एवं जांजगीर चांपा जिले के बाल काटने के व्यवसाय से जुड़े 10000 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इस योजना को लोक मित्र योजना का नाम दिया गया है। प्रथम चरण में 9600 परिवारों को नाई पेटी वितरित किए जाने का लक्ष्य था। वर्ष 2007-08 में 5038 परिवारों को नाई पेटी वितरित की गई है।

27. रविदास चर्म शिल्प योजना :-

- प्रदेश के चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2008-09 से रविदास चर्म शिल्प योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत अनु.जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाएगी। वर्ष 2008-09 में 500 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2009-10 में 125 हितग्राही लाभान्वित हुए है। वर्ष 2010-11 में रू. 25.00 लाख का आबंटन तथा वर्ष 2012-13 में 30.00 लाख का आबंटन जिलों को प्रदाय किया गया है तथा किट् वितरण का कार्य प्रगति पर है। जिससे 600 हितग्रहियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है।

28. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अन्तर्गत राहत योजना :-

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों के द्वारा अत्याचार

अपराध करने का निवारण के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास से संबंधित विषयों के लिए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989) लागू किया गया है।

उक्त अधिनियम के अनुसार अत्याचार के अपराध इस प्रकार है :-

अखाद्य या घृणा जनक पदार्थ पीना या खाना, क्षति पहुँचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना आदि, अनादर सूचक कार्य सदोष भूमि अधिभोग लेना या उस पर कृषि करना आदि भूमि, परिसर या जल से संबंधित बेगार या बलातश्रम या बधुंवा मजदूरी, मतदान के अधिकार के संबंध में, मिथ्या, दोषपूर्ण या तंग करने वाली विविध कार्यवाही, मिथ्या, तुच्छ जानकारी अपमान अभित्रास, किसी महिला की लज्जा भंग करना, महिला लैंगिक शोषण, पानी गंदा करना, मार्ग के रूढ़िजन्य अधिकारों से वंचित करना, किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना, मिथ्या साक्ष्य देना, भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 10 वर्ष से उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध करना, किसी लोक सेवक से उठाई गई हानि (क) 100 प्रतिशत असमर्थता (ख) 100 प्रतिशत असमर्थता, हत्या/मृत्यु, नरसंहार, बालात्संग, सामूहिक बालात्संग, गेंग द्वारा किया गया बालात्संग, अस्थाई असमर्थता और डकैती, पूर्णता नष्ट करना/जला हुआ मकान।

उक्त अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है अधिनियम के अनुसार पीड़ित व्यक्ति/परिवार को सहायता पहुँचाने अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 बनाया गया है। इस नियम के अन्तर्गत आकस्मिकता योजना नियम -1995 द्वारा पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों का राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 23.08.2012 के द्वारा अत्याचार पीड़ितों को देय राहत एवं पुनर्वास सहायता की दरों में न्यूनतम 140% से 166% तक वृद्धि की गई है तथा हत्या/मृत्यु के मामले में जीवन निर्वाह भत्ते की दर में 200% वृद्धि की गई है। राहत एवं पुनर्वास सहायता हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के निम्नानुसार व्यक्ति एवं परिवार पात्र है :-

- अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) या 3 (2) की विभिन्न उपधाराओं अन्तर्गत अत्याचार अपराध से उत्पीड़ित व्यक्ति/परिवार।

  वर्ष 2011-12 में अधिनियम के तहत घटित अपराधों में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के कुल 546 व्यक्तियों को राहत सहायता दी गई है। वर्ष 2012-13 में माह दिसम्बर 2012 की स्थिति में 440 अत्याचार पीड़ितों को राहत सहायता प्रदान की गई है। उक्त अधिनियम के तहत् बनाए गए अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 9 के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। उक्त नियम की धारा 16 के तहत प्रदेश में अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्यवन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत एवं पुनर्वास तथा उनसे संबंद्ध मामलों पर विचार/समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित है तथा नियम 16 (2) के अनुसार कैलेण्टर वर्ष 2012 में उक्त समिति की 2 बैठकें क्रमशः 6 जुलाई 2012 तथा 19 दिसम्बर 2012 को आयोजित की गई है। नियम 17 (1) के अनुसार प्रदेश के समस्त 27 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समितियों का गठन किया गया है तथा नियम 17 (3) के अनुसार जिला स्तर पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में 13 पुलिस जिलों यथा जिला- रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कबीरधाम, महासमुन्द, जांजगीर एवं कोरबा में विशेष थाना स्थापित किए जाकर कार्यरत है। शेष जशपुर, कोरिया, कांकेर, धमतरी बीजापुर एवं नारायणपुर जिलों में आजाक प्रकोष्ठ स्थापित है।

उपरोक्त मामलों में त्वरित कार्यवाही हेतु प्रदेश में विशेष न्यायालय जिला- रायपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव, जगदलपुर, बिलासपुर, सरगुजा में स्थापित किए जाकर कार्यरत है।

- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) सहायता एवं पुनर्वास, अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन, अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर आयोजन संबंधी योजनाएँ केन्द्र प्रवर्तित योजानाएँ हैं, जो कि 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश से क्रियान्वित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के अंतर्गत पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता हेतु प्राप्त आबंटन रू. 74.38 लाख जारी किया गया है। अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर आयोजन तथा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनांतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता राशि अंतर्गत क्रमशः रु. 12.00 एवं 24.00 लाख का आबंटन प्राप्त है, जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है।

29. आदिवासी/अनुसूचित जाति राहत योजनाः-

विपत्ति किसी को बताकर नहीं आती। जब आती है तो गरीब एवं असहाय लोगों को और दुर्बल बना देती है। ऐसी विपत्ति के समय पर प्रदेश के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विपत्ति प्रभावित व्यक्तियों को जिला कलेक्टर के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसे आदिवासी अनुसूचित जाति राहत योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत विगत 2010-11 से निम्नानुसार व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान कर लाभांवित किया गया -

क्र.	वर्ष	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि
1	2010-11	3.04 लाख	182 व्यक्ति
2	2011-12	143.81 लाख	546 व्यक्ति
3	2012-13	95.79 लाख	440 व्यक्ति

30. सम्मान एवं पुरस्कार :- विभाग द्वारा निम्नानुसार राज्य स्तरीय पुरस्कार स्थापित किए गए हैं-

1 शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान :- अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष दो लाख रुपये का पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2011 में स्वामी श्री रामानंद सरस्वती, ग्राम सलखिया (राजपुर) आर्य विद्या सभा, जिला-रायगढ़(छ0ग0) को उक्त पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2012 में श्री अजीत वरवण्डकर मारुति विहार, मोहबा बाजार, रायपुर को शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है।

2 स्वर्गीय भंवरसिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान :- अनुसूचित जनजाति के सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले संस्था को दो लाख रुपये का पुरस्कार देने का प्रावधान है। वर्ष 2011 में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुर नगर, जिला-जशपुर (छ0ग0) को उक्त पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2012 में संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को दिया गया है।

3 गुरुघासी दास सामाजिक चेतना तथा अनुसूचित जाति उत्थान पुस्कार : -छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों में सामाजिक चेतना तथा उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य वाले व्यक्तियों/ संस्थाओं को प्रतिवर्ष राज्य स्थापना उत्सव अवसर पर प्रदान किया जाता है। पुरस्कार एक व्यक्ति/संस्था को दो लाख रूपये प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2011 में संत श्री जीवराखन दास धृतलहरे, ग्राम नवागांव (थूहा), जिला-धमतरी (छ0ग0) को उक्त पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2012 में डॉ. आर.एस. बारले, जिला दुर्ग को प्रदान किया गया है।

4 स्व0 हाजी हसन अली पुरस्कार :- उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय साहित्यिक रचनाओं तथा साहित्य साधना को सम्मानित करने हेतु दो लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2011 में साबिर हुसैन साबिर, हैदरी मस्जिद के पीछे, मोमिनपारा, रायपुर, जिला-रायपुर (छ0ग0) को उक्त पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2012 में श्री अब्बदुल सत्तार खान (राज मलकापुरी) तारीक मंजिल, मीनार आर्ट लाईन, ओम नग, जरहाभांठा, बिलासपुर (छ.ग.) को पुरस्कृत किया गया।

31. लोककला महोत्सव :-

1. शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव :-

- शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान, जिला-बलौदा बाजार में किया जाता है। वर्ष 2012-13 में लोककला महोत्सव का आयोजन जिला-सरगुजा में दिनांक 07-08 दिसंबर 2012 को किया गया तथा दिनांक-10 दिसम्बर 2012 को उनके जन्म स्थान सोनाखान में स्मृति समारोह आयोजित किया गया।
- इसके अंतर्गत आदिवासियों की लोक नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है।
- प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम (राशि रुपये 1.00 लाख), द्वितीय (राशि रुपये 0.50 लाख) एवं तृतीय पुरस्कार (राशि रुपये 0.25 लाख) दिया जाता है।
- उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीरनारायण सिंह की शहादत को चिरस्मरणीय बनाना तथा आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

2. गुरु घासीदास लोककला महोत्सव :-

- वित्तीय वर्ष 2007-08 से "गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव" का आयोजन किया जा रहा है।
- योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के परंपरागत लोककला जैसे-पंथी, भरथरी, पंडवानी, पारंपरिक वाद्ययंत्रों को प्रोत्साहित किया जाना है।
- इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रथम (राशि रुपये 1.00 लाख), द्वितीय (राशि रुपये 0.75 लाख) एवं तृतीय (राशि रुपये 0.50 लाख) पुरस्कार दिए जाते हैं।
- वर्ष 2011-12 में गुरु घासीदास लोककला महोत्सव का आयोजन दिनांक-15 व 16 दिसम्बर 2012 को जिला-मुंगेली में किया गया है।

32. आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना :-

छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में निवासरत् आदिवासी की पहचान उसकी संस्कृति है। इस संस्कृति के अन्तर्गत उनकी विशिष्ट वेशभूषा, नृत्य, वाद्य यंत्र उनके धार्मिक पूजा पद्धति रिवाज आदि है। आदिवासी संस्कृति का एक मुख्य अंग आदिवासी नृत्य एवं संगीत है। ग्रामों में आदिवासी अर्थाभाव के कारण नृत्य एवं संगीत हेतु आवश्यक पारम्परिक वाद्ययंत्र एवं सह सामग्री की व्यवस्था नहीं कर पाते है, जिससे वे अपने इस विशिष्ट संस्कृति को बचाये रखने में असफल हो रहे है। इस संस्कृति के परिरक्षण एवं संवर्धन हेतु ग्रामों के सांस्कृतिक दलों को आवश्यक सामग्री की व्यवस्था हेतु सहायता दिया जाना है। वर्ष 2007-08 में इस योजना का विस्तार करते हुए राज्य के समस्त विकासखण्डों को सम्मिलित किया गया है।

योजनान्तर्गत सांस्कृतिक दल को रुपये 10000/-प्रदान किया जाता है। इस योजना के लिए वर्ष 2012-13 में 73.50 लाख जारी किए गए है। जिससे 425 दलों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है।

33. जनजातियों के पूजा स्थल (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास :-

योजना का उद्देश्य राज्य के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के ग्रामों एवं अन्य क्षेत्रों में आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के अनुसूचित जनजातियों के आदिवासी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करने हेतु श्रध्दा स्थलों (देवगुड़ी) ग्राम देवता स्थलों का परिरक्षण एवं विकास करना है। यह कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाता है। योजना के क्षेत्र में विस्तार करते हुए इसमे राज्य के समस्त आदिवासी ग्राम सम्मिलित किए गए हैं। इस योजनांतर्गत वर्ष 2012-13 से प्रति ग्राम रुपये 50,000 प्रति देवगुड़ी के निर्माण हेतु

राशि निर्धारित है वर्ष 2012-13 में कुल-720 देवगुड़ी निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके लिए जिलों को रुपये 360.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है।

34. जनश्री बीमा योजना :-

छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह यथा पहाड़ी कोरबा, बिरहोर, कमार, बैंगा, एवं अबूझमाड़िया परिवारों के 18 से 60 आयु वर्ग के मुखिया को सुरक्षा प्रदान कर लाभान्वित किए जाने के उददेश्य से वित्तीय वर्ष 2004-05 से केन्द्र शासन की मंशा अनुसार जनश्री बीमा योजना संचालित की जा रही है।

प्रीमियम रुपये-200 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, जिसमें से रुपये-100/- हितग्राही/नोडल एजेन्सी/राज्य सरकार देगी तथा शेष रुपये-100/- सामाजिक सुरक्षा कोष प्रदान करेगा। 31 दिसम्बर 2008 की स्थिति में 123.68 लाख राशि का प्रीमियम जीवन बीमा निगम को भुगतान किया जाकर 24602 परिवारों को बीमित किया गया है।

वर्ष 2005-06 तक रु.123.68 लाख से 24602 विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों का बीमा कराया गया विवरण निम्नानुसार है :-

जिला	विशेष पिछड़ी जनजाति का नाम	परिवार संख्या	राशि
जशपुर	पहाड़ी कोरबा एवं बिरहोर	2560	13.019
रायगढ़	बिरहोर	194	0.987
सरगुजा	पहाड़ी कोरवा	4571	23.244
कोरबा	पहाड़ी कोरवा	541	2.75
बिलासपुर	बैगा	6552	13.26
कवर्धा	बैगा	6194	30.97
रायपुर	कमार	2756	13.78
धमतरी	कमार	1339	6.695
बस्तर	अबुझमाड़िया	3797	18.975
	योग :-	24602	**123.68**

जनश्री बीमा योजनांतर्गत दिसंबर 2012 तक 182 विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों का रु. 37.60 लाख की दावा राशि का भुगतान कराया गया।

हितलाभ :-

क. सदस्य की सामान्य (प्राकृतिक) मृत्य होने पर 20 हजार रुपये की बीमित राशि नामाकिंत व्यक्ति को देय होगी।

ख. दुर्घटना बीमा लाभ दुर्घटना में मृत्य होने पर अथवा दुर्घटना के कारण आंशिक/पूर्ण स्थायी अपंगता होने पर निम्न लाभ देय होगें।

1. दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 हजार रुपये।
2. दुर्घटना में स्थायीपूर्ण अपगंता होने पर 50 हजार रुपये।
3. दुर्घटना दो आँख या दो हाथ या एक हाथ एक पैर या एक आँख और एक हाथ-पैर अक्षम होने पर 50 हजार रुपये।

9. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित रायपुर का गठन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (पुर्नगठन और निर्माण) अध्यादेश क्रमांक-2000 (मध्यप्रदेश अध्यादेश क्रमांक-04 सन्-2000) के अन्तर्गत किया गया है। निगम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सफाई कामगार वर्ग के आर्थिक विकास के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण हेतु उद्यमी विकास संस्थान की समस्त इकाई एवं पूर्व में विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्रों का विलय इस निगम में कर दिया गया है। इस निगम की पूंजी का 51 प्रतिशत राज्य की अंशपूंजी हिस्सा एवं 49 प्रतिशत केन्द्रीय अंशपूंजी हिस्सा है। निगम द्वारा छ.ग. राज्य के निर्धारित मापदण्ड में आने वाले हितग्राही क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सफाई कामगार वर्ग के उत्थान में वित्तीय ऋण सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत दी जाती है।

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाएँ एवं प्रगति विवरण 2012–13

क्रं.	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि हितग्राही	वित्तीय उपलब्धि दिसम्बर- 2012
1.	राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्त निगम प्रवर्तित योजना	120	38.40
2.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त निगम प्रवर्तित योजना	106	234.66
3.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त निगम प्रवर्तित योजना	26	19.91
4.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त निगम प्रवर्तित योजना	08	9.42
5.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त निगम प्रवर्तित योजना	84	202.02
6.	अन्त्योदय स्वरोजगार योजना	542	(ऋण) 243.16 (अनुदान) 54.20
7.	आदिवासी स्वरोजगार योजना	502	(ऋण) 208.45 (अनुदान) 50.20
8.	मिनीमाता स्वावलंबन योजना	62	41.60
9	शहीद वीरनारायण सिंह स्वालंबन योजना	196	199.92
10	व्यावसायिक प्रशिक्षण (कम पढ़े-लिखे युवाओं का स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन) योजना (अनुसूचित जनजाति वर्ग)	529	158.70
11	व्यावसायिक प्रशिक्षण (कम पढ़े-लिखे युवाओं का स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन) योजना (अनुसूचित जाति वर्ग)	284	51.688
	योग -	**2459**	**1512.328**

10. यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग को शिक्षा के गुणात्मक विकास के कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2007-08 से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। वर्ष 2008-09 में द्वितीय वर्ष की कुल 1367.2418 लाख का कार्य योजना स्वीकृत है, जिसमें माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर प्रदाय एवं विद्युतीयकरण, कन्या छात्रावास/आश्रम में वाटरकूलर/प्यूरीफायर का प्रदाय, आश्रम भवनों का निर्माण, माध्यमिक शालाओं में कन्याओं के लिए शौचालय निर्माण, छात्रावास/आश्रमों में पेयजल आपूर्ति, शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्ड मुख्यालय के एक माध्यमिक शाला को आदर्श माध्यमिक शाला के रूप में विकसित करने तथा विकासखण्ड मुख्यालय के एक माध्यमिक शाला में अंग्रेजी प्रयोग शाला के स्थापना का कार्य, एवं कक्षा 9वीं में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क सायकिल प्रदाय शामिल है। स्वीकृत कार्य योजना की सम्पूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है तथा राशि स्वीकृत कार्यों पर व्यय हेतु जिलों को प्रदान की गई है। तथा व्यय की कार्यवाही की जा चुकी है।

वर्ष 2009-10 में तृतीय वर्ष की कुल रुपये 1995.31 लाख की कार्य योजना स्वीकृत है। जिसमें विभागीय शालाओं में फर्नीचर एवं विद्युतीकरण, आश्रम भवनों का निर्माण, छात्रावास-आश्रमों में पेयजल आपूर्ति, छात्रावास-आश्रमों में विद्युतीकरण, सरगुजा जिले के प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 3री से 5वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं माध्यमिक शाला में अध्ययनरत विशेष पिछड़ी जनजाति विद्यार्थियों को स्कूल बैग एवं जूता मोजा प्रदाय तथा कोरिया जिले में 26 आश्रम स्कूल में वॉशिंग मशीन का प्रदाय, कक्षा 9वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क सायकिल प्रदाय तथा राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय अध्ययन दौरा का कार्यक्रम शामिल है। स्वीकृत कार्य योजना में से अब तक रुपये 1988.31 लाख प्राप्त हो चुका है। जिसके व्यय की कार्यवाही की जा चुकी है। सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिले के प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 3री से 5वी तक अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं माध्यमिक शाला में अध्ययनरत विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों को जूता, मोजा प्रदाय की कार्यवाही की जा रही है।

चतुर्थ वर्ष की कुल रु. 1178.00 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत है। जिसमें से रु. 730.00 लाख का आबंटन वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राप्त हुआ है, उक्त आबंटन से विभागीय आश्रम शाला का निर्माण/विभाग अंतर्गत जारी निर्माण कार्य में सी.एस. आर. दर वृद्धि होने से अतिरिक्त राशि/छात्रावास भवन का निर्माण विज्ञान शिक्षा सुधार हेतु/विभागीय छात्रावास आश्रम भवन का मरम्मत/एकलव्य आवासीय शाला की सजावट/आदिम जाति जिलों के 10 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना/राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय अध्ययन दौरा कार्यक्रम एवं आश्रम एवं छात्रावासी छात्राओं को सेनेटरी नेपकीन प्रदाय की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु रु. 1478.00 लाख की राशि स्वीकृत है। स्वीकृत राशि में से रु. 919.00 लाख प्राप्त हो चुका है। उक्त राशि से स्वीकृत योजना अनुसार पूर्व संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ अंत्याव्यसायी निगम द्वारा संचालित व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन एवं 500 आश्रम/छात्रावासों को आदर्श छात्रवास/आश्रम बनाए जाने का लक्ष्य है।

भाग - चार

11. आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, रीति-रिवाज, रहन-सहन, अन्य सांस्कृतिक तथा अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना निर्माण में कठिनाई महसूस हुई थी जिसके फलस्वरूप भारत सरकार ने वर्ष 1954 में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को आदिम जाति अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिए थे।

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का 31.76 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ के लिए 15 वें आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के रूप में दिनांक दिनांक 2 नवम्बर 2004 को राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत किया गया। इस संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जा रहें है :-

1. राज्य की अनुसूचित जनजातियों/जातियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति का अनुसंधान, सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन करना।
2. अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
3. आदिवासी संस्कृति एवं कला का प्रलेखन एवं संरक्षण करना।
4. जाति प्रमाण-पत्र जारीकर्ता अधिकारियों एवं अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ विभिन्न विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
5. गलत/फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की जाँच करना।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समस्त राज्य सरकारों को दिए गए निर्देश के परिपालन में आरक्षित पदों पर नियुक्ति एवं पाठ्यक्रमों में प्रवेश से पूर्व जाति प्रमाण पत्रों की जाँच एवं सत्यापन करना तथा फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों को निरस्त करना।
7. विभागाध्यक्ष या राज्य शासन या केन्द्र शासन द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्य।

2. संस्थान की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ वर्ष 2011–12

✸ अनुसंधान एवं जाति परीक्षण :

1. सबरिया जाति का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजे जाने हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया।
2. रौतिया जाति का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजे जाने हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया।
3. अढ़ौलिया जाति का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजे जाने हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया।
4. नगारची जाति का संक्षिप्त नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन तैयार किया गया।
5. धनुहार जाति का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजे जाने हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया।
6. परगनिहा/प्रधान जाति का नृजातीय अध्ययन किया गया प्रतिवेदन लेखन का कार्य प्रगति पर।
7. माझी जाति का नृजातीय अध्ययन कर प्रतिवेदन लेखन का कार्य प्रगति पर।
8. सूत सारथी, साथी, सहीस, सईस, थनवार जाति का नृजातीय अध्ययन कर प्रतिवेदन लेखन का कार्य प्रगति पर।

✸ मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण :

संस्थान द्वारा वर्ष 2011-12 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि में से सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुमोदित निम्नांकित विषयों पर मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया गया है :-

(i) आदिवासी क्षेत्र में आई.सी.डी.एस. संचालन की स्थिति का मूल्यांकन का कार्य पूर्ण। प्रतिवेदन लेखन कार्य प्रगति पर।

(ii) संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत स्वीकृत योजनांतर्गत प्राप्त अनुदान, आवंटन से निर्मित आदिवासी आश्रम शाला एवं छात्रों को प्रदत्त सुविधाओं का मूल्यांकन हेतु तथ्य संकलन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(iii) गरीबी रेखा के नीचे निवासरत आदिम जाति जनजाति समूह के परिवारों के लिए संचालित इंदिरा आवास योजना का मूल्यांकन करने हेतु प्रतिवेदन लेखन का कार्य प्रगति पर है।

✸ प्रशिक्षण :

1. आरक्षित संवर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखकर स्कूलों के माध्यम से जाति प्रमाण-पत्र एवं जाति सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदाय किए जाने संबंधी योजना के तहत जाति प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों का संभागीय स्तर पर बिलासपुर, अम्बिकापुर (सरगुजा) एवं बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में दिनांक-09,10,14 एवं 17 दिसम्बर 2011 को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर कुल 244 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
2. राज्य में ट्रायबल एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य की चयनित 04 आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण के तारतम्य में राज्य एड्स नियंत्रण समिति छत्तीसगढ़ की सहभागिता से संस्थान द्वारा दिनांक 14.07.2011 को परियोजना क्षेत्र के परियोजना प्रशासक, शिक्षक एवं समाज सेवा से जुड़े कुल-52 लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

   संस्थान द्वारा चयनित आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विकासखण्ड स्तर पर एड्स नियंत्रण जागरुकता संबंधी प्रशिक्षण आयोजित कर जनप्रतिनिधियों ग्रामीण क्षेत्र के अप्रशिक्षित चिकित्सकों (गुनिया), स्वयं सेवी संस्थान के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

✸ कार्यशाला/संगोष्ठी :

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुदान से संस्थान द्वारा आगामी माह मार्च में "छत्तीसगढ़ के आदिवासी बालक-बालिकाओं में शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति तथा विकास हेतु रणनीति" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह कार्यशाला का आयोजन किया जाना है।

✸ जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं संभागीय क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वर्ष 2012-13 (31 अक्टूबर 2012 तक) में कुल 98776 जाति प्रमाण-पत्रों की जाँच कर सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किया गया। जिसमें अनुसूचित जनजाति के 32474, अनुसूचित जाति के 14415 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 51887 जाति प्रमाण पत्रों की जाँच कर सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रदाय किया गया।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के ज्ञापन क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 रायपुर दिनांक 01 सितंबर 2012 के द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

प्रशिक्षण :

संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के निर्देशानुसार दिनांक 28.07.2012 को "छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियाँ: सामाजिक- सांस्कृतिक परिचय एवं विकास" विषय पर राज्य में तैनात सेनाधिकारियों के लिए एक दिवसीय व्याख्यान/प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें 56 प्रतिभागियों द्वारा सहभागिता की गई।

स्कूल के माध्यम से जाति प्रमाण-पत्र एवं सत्यापन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु संस्थान द्वारा दिनांक 30.07.2012 को जिला मुख्यालय धमतरी में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें जिले के राजस्व अधिकारियों, प्राचार्य, शिक्षक खंड शिक्षा अधिकारी सहित कुल 136 अधिकारियों की सहभागिता रही।

अनुसंधान अध्ययन :

क्र.	अनुसंधान अध्ययन का विषय	वर्तमान स्थिति
1.	बैगा विशेष पिछड़ी जनजातियों में 6-14 वर्ष उम्र समूह के बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के कारण का मानवशास्त्रीय अध्ययन।	अध्ययन कर विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2.	कमार विशेष पिछड़ी जनजातियों में 6-14 वर्ष उम्र समूह के बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के कारण का मानवशास्त्रीय अध्ययन।	अध्ययन कर विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
3.	पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियों में 6-14 वर्ष उम्र समूह के बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के कारण का मानवशास्त्रीय अध्ययन।	अध्ययन कर विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
4.	बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति में 6-14 वर्ष उम्र समूह के बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के कारण का मानवशास्त्रीय अध्ययन।	अध्ययन कर विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
5.	बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में शालागामी बच्चों में शाला त्यागने के कारण का मानवशास्त्रीय अध्ययन।	अध्ययन कर विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
6.	कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में शालागामी बच्चों में शाला त्यागने के कारण का मानवशास्त्रीय अध्ययन।	अध्ययन कर विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
7.	पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति में शालागामी बच्चों में शाला त्यागने के कारण का मानवशास्त्रीय अध्ययन।	अध्ययन कर विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
8.	बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति में शालागामी बच्चों में शाला त्यागने के कारण का मानवशास्त्रीय अध्ययन।	अध्ययन कर विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

नृजातीय अध्ययन : प्रदेश में निवासरत विभिन्न जनजातीय समूह की ओर से उन्हें राज्य की अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने हेतु अभ्यावेदन, आवेदन प्राप्त होने पर इस संस्थान से आवेदित जनजाति को प्रदेश की जनजाति की सूची में शामिल होने की पात्रता आती है या नहीं-अभिमत या प्रतिवेदन माँगा जाता है। वर्तमान समय में निम्नांकित नृजातीय अध्ययन कार्य किए जा रहे हैं।

क्र.	जाति का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	परगनिहा/प्रधान	प्रतिवेदन पूर्ण। शासन को भेजे जाने हेतु प्रस्तुत।
2.	सूत सारथी, सारथी, सहीस, सईस, थनवार	प्रतिवेदन पूर्ण। शासन को भेजे जाने हेतु प्रस्तुत।
3.	माझी	प्रतिवेदन पूर्ण। शासन को भेजे जाने हेतु प्रस्तुत।
4.	कोड़ाकू	क्षेत्र कार्य पूर्ण प्रतिवेदन लेखन प्रगति पर।
5.	कोंध	प्रतिवेदन लेखन कार्य पूर्ण, टंकन कार्य जारी।
6.	नगेसिया किसान	प्रतिवेदन लेखन पूर्ण, प्रतिवेदन अंतिम परीक्षण हेतु।
7.	धूरी	क्षेत्र कार्य पूर्ण, प्रतिवेदन लेखन प्रगति पर।
8.	परहिया	क्षेत्र कार्य पूर्ण, प्रतिवेदन लेखन किया जाना है।
9.	नागवंशी, नगबसी	प्रतिवेदन पूर्ण। शासन को भेजे जाने हेतु प्रस्तुत।
10.	कमार	प्रतिवेदन पूर्ण। शासन को भेजे जाने हेतु प्रस्तुत।
11.	कंवर	प्रतिवेदन पूर्ण। शासन को भेजे जाने हेतु प्रस्तुत।

सर्वेक्षण :

क्र.	सर्वेक्षण कार्य का विषय	वर्तमान स्थिति
1.	बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के 27 ग्रामों का सर्वेक्षण।	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, विश्लेषण कार्य पूर्ण, वांछित जानकारी आयुक्त आ.जा. तथा अ.जा. विकास रायपुर को पत्र क्र टीआरआई/अनु.सर्वे./29/2012/1785 दिनांक 22.12.2012 द्वारा प्रेषित।
2.	कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के 18 ग्रामों का सर्वेक्षण।	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, विश्लेषण कार्य पूर्ण, वांछित जानकारी आयुक्त आ.जा. तथा अ.जा. विकास रायपुर को पत्र क्र टीआरआई/अनु.सर्वे./29/2012/1785 दिनांक 22.12.2012 द्वारा प्रेषित।
3.	पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति के 50 ग्रामों का सर्वेक्षण।	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, विश्लेषण कार्य पूर्ण, वांछित जानकारी आयुक्त आ.जा. तथा अ.जा. विकास रायपुर को पत्र क्र. टीआरआई/अनु सर्वे./29/2012/1785 दिनांक 22.12.2012 द्वारा प्रेषित।
4.	बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति के 04 ग्रामों का सर्वेक्षण।	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, विश्लेषण कार्य पूर्ण, वांछित जानकारी आयुक्त आ.जा. तथा अ.जा. विकास रायपुर को पत्र क्र. टीआरआई/अनु. सर्वे./29/2012/1785 दिनांक 22.12.2012 द्वारा प्रेषित।

मूल्यांकन :

क्र.	मूल्यांकन अध्ययन का विषय	वर्तमान स्थिति
1.	गरीबी रेखा के नीचे (पी.टी.जी.) के लिए इंदिरा आवास योजना का मूल्यांकन।	प्रतिवेदन पूर्ण। शासन को भेजे जाने हेतु प्रस्तुत।
2.	आदिवासी क्षेत्रों में संचालित आई.सी.डी.एस. संचालन की स्थिति का मूल्यांकन।	प्रतिवेदन पूर्ण। शासन को भेजे जाने हेतु प्रस्तुत।
3.	संविधान की धारा 275() अंतर्गत निर्मित आदिवासी आश्रम शाला एवं छात्रों को प्रदत्त सुविधाओं का मूल्यांकन।	प्रतिवेदन पूर्ण। शासन को भेजे जाने हेतु प्रस्तुत।
4.	आदिवासियों के कौशल विकास एवं स्व-रोजगार हेतु संचालित प्रशिक्षण का मूल्यांकन।	तथ्य संकलन हेतु क्षेत्रीय कार्य किया जा रहा है।
5.	आदिवासियों के लिए सिंचाई पंप के लिए विद्युत कनेक्शन का मूल्यांकन।	75 प्रतिशत क्षेत्रीय कार्य पूर्ण किया जा चुका है। आंकड़ों के विश्लेषण का कार्य प्रगति पर।
6.	वन अधिकार अधिनियम 2006 तहत योजनाओं का मूल्यांकन।	आगामी फरवरी 2013 में तथ्य संकलन हेतु क्षेत्र में जाना प्रस्तावित है।

जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन का सरलीकरण :

जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शाला स्तर पर ही कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र/छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र सत्यापित कर प्रदान किए जाने हेतु जिला स्तर पर ही जाति प्रमाण-पत्र बनाने एवं सत्यापन की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप छात्र/छात्राओं को जाति प्रमाण-पत्र बनाने के नाम पर भटकना नहीं पड़ेगा तथा उन्हें शाला में ही जाति प्रमाण-पत्र तथा सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त हो सकेगा।

इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के ज्ञापन क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 रायपुर दिनांक 01 सितंबर 2012 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2012-13 में स्कूली विद्यार्थियों को जाति प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु कुल 79.45 लाख का आबंटन समस्त 27 जिलों को दिया गया है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के 65,058 अनुसूचित जनजाति के 1,00,200 एवं पिछड़े वर्ग के 6,08,565 इस प्रकार कुल रु. 7,96,523 विद्यार्थियों को जाति प्रमाण-पत्र प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया हैं।

12. आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

छ0ग0 राज्य के गठन के तत्काल पश्चात् राज्य शासन द्वारा यह महसूस किया गया है कि राज्य को आदिवासी अंचल एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जावे। फलस्वरूप आदिवासी अंचलों के विकास हेतुः-

अ. बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

ब. सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

का गठन राज्य शासन के आदेश क्र./एफ-7-5/04/01/06, दिनांक-20 मई 2004 द्वारा किया गया।

1. गठन एवं विस्तार :-

प्रारंभ में बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जिला कांकेर, बस्तर एवं दंतेवाड़ा ही सम्मिलित किये गये थे, बाद में इसका क्षेत्र विस्तार कर धमतरी जिले की नगरी, दुर्ग जिले का डौण्डीलोहारा, राजनांदगांव जिले का राजनांदगाँव एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र को विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किया गया। साथ ही साथ राजनांदगाँव जिले का ''नचनिया'' एवं जिला कवर्धा का ''माडा'' क्षेत्र भी प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किए गए।

सरगुजा विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रारंभ में जशपुर, सरगुजा एवं कोरिया जिला ही सम्मिलित किया गया था, बाद में इस प्राधिकरण क्षेत्र का विस्तार करते हुए जिला कोरबा (पूर्ण राजस्व जिला), रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ एकीकृत विकास परियोजना एवं बिलासपुर जिले का गौरेला परियोजना क्षेत्र को सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।

2. उद्देश्यः-

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत् जनजाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाता है। क्षेत्र में निवासरत् जनजाति समुदायों के आर्थिक विकास संस्कृति के संरक्षण क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

3. बजट प्रावधानः-

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में लिये जाने वाले कार्यों हेतु पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल रूपये 3500.00 लाख का प्रावधान प्रत्येक प्राधिकरण में किया गया है। जिसके अंतर्गत विकास कार्यों की स्वीकृति मुख्यमंत्री सचिवालय प्राधिकरण प्रकोष्ठ से की जाती है। वर्ष 2004-05 से लेकर वर्ष 2011-12 (दिसबंर 2011 की स्थिति में) अंतर्गत आदिवासी विकास प्राधिकरणों हेतु निम्नानुसार धनराशि का प्रावधान किया गया है, एवं उसके विरुद्ध राशि स्वीकृत की गई है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

बस्तर एव दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

वर्ष	प्रावधान (लाखों में)	पुनरावंटन (लाखों में)
1	2	3
2004-05	1300.00	1269.431
2005-06	2500.00	2500.00
2006-07	2700.00	2700.00
2007-08	4000.00	3979.456
2008-09	4000.00	3996.42
2009-10	3500.00	3436.126
2010-11	3500.00	3500.00
2011-12	3500.00 1500.00 (द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त)	4994.56 (दिसंबर 2012 की स्थिति में)
2012-13	3500.00 0040.00 (उपाध्यक्ष कार्यालय हेतु)	528.31 (दिसंबर 2012 की स्थिति में)

सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

वर्ष	प्रावधान (लाखों में)	पुनरावंटन (लाखों में)
1	2	3
2004-05	1300.00	1300.00
2005-06	2500.00	2417.00
2006-07	2500.00	2491.005
2007-08	3700.00	3699.996
2008-09	3500.00	3489.94
2009-10	3500.00	3436.65
2010-11	3500.00	3499.14
2011-12	3500.00	3499.70 (दिसंबर 2012 की स्थिति में)
2012-13	3500.00 0040.00 (उपाध्यक्ष कार्यालय हेतु)	1096.86 (23.12.2012 की स्थिति में)

4. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठनः-

राज्य के अनुसूचित जाति क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य शासन के आदेश क्र./एफ-7-9/04/ 1/06, दिनांक-23.10.2004 द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

1. **अनुसूचित जाति प्राधिकरण का क्षेत्रः-** प्राधिकरण गठन के साथ-साथ अनुसूचित जाति बाहुल्य 09 जिलों को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किया गया। जिले निम्नानुसार है :-

1. जांजगीर-चांपा 2. बिलासपुर 3. रायपुर 4. रायगढ़ 5. दुर्ग 6. कवर्धा
7. महासमुन्द 8. कोरबा 9. राजनांदगांव

वर्तमान में राज्य के धमतरी जिलें में निवासरत अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या को भी प्राधिकरण अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है।

प्रावधानः-

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में भी आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्य स्वीकृत किये जाते है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत वर्ष 2004 से 2011-12 बजट प्रावधान एवं उसके विरुद्ध दी गई स्वीकृत राशि की जानकारी वर्षवार निम्नानुसार है :-

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

वर्ष	प्रावधान (लाखों में)	पुनरावंटन (लाखों में)
1	2	3
2004-05	400.00	360.42
2005-06	2000.00	1991.994
2006-07	2000.00	2000.00
2007-08	3500.00	3498.25
2008-09	3500.00	3492.314
2009-10	3500.00	3477.174
2010-11	3500.00	3498.94
2011-12	3500.00 500.00 (द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त)	3976.19 (दिसंबर 2012 की स्थिति में)
2012-13	3500.00 0040.00 (उपाध्यक्ष कार्यालय हेतु)	2252.15 (दिसंबर 2012 की स्थिति में)

वर्तमान में सभी प्राधिकरणों के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन होते हैं तथा उपाध्यक्ष सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पद पर माननीया श्रीमती रेणुका सिंह, विधायक, विधानसभा क्षेत्र प्रेमनगर सरगुजा को बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर, माननीय श्री वेदूराम कश्यप, विधायक, विधानसभा क्षेत्र चित्रकोट, जिला-बस्तर एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर माननीय श्री डोमनलाल कोर्सेवाडा, विधायक, विधानसभा क्षेत्र अहिवारा जिला-दुर्ग को नामांकित किया गया है।

प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित नीतियों, लिए गए निर्णयों, जारी आदेश एवं निर्देश, प्राधिकरण के सदस्य, सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है तथा सर्वसंबंधितों द्वारा उनका पालन सुनिश्चित किया जाता है।

भाग - पांच

13. अभिनव योजनाएँ

1. प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल की कोचिंग योजना :-

राज्य के आदिम जाति/अनुसूचित जाति को विद्यार्थियों को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग/मेडिकल संस्थाओं में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से राज्य में प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल की कोंचिग योजना वर्ष 2010-11 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना अंतर्गत कक्षा 12वीं में विज्ञान विषय लेकर 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनके पालक आयकरदाता की श्रेणी में नहीं आते हैं उनको प्रवेश की पात्रता होती है।

केवल वर्ष 2011-12 हेतु शासन द्वारा छात्रों की अनुपलब्धता के कारण नक्सल प्रभावित जिलों के लिए कक्षा 12वी की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले एवं गैर नक्सल प्रभावित जिलों के 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों के चयन के मापदण्ड की कण्डिका-3 अंतर्गत प्रवेश की पात्रता में छूट प्रदान की गई है। वर्तमान में 2012-13 में उक्त योजना अंतर्गत कक्षा 12वीं परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त नक्सल प्रभावित जिलों के मेधावी छात्रों के चयन करने का मापदण्ड निर्धारित है।

2. आदर्श छात्रावास/आश्रमों की स्थापना:-

विभाग में संचालित छात्रावास एवं आश्रमों को विकसित (सुसज्जित) कर आदर्श संस्था बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2009-10 में प्रत्येक जिले के 10-10 छात्रावास एवं आश्रमों का चयन कर आदर्श छात्रावास एवं आश्रम स्थापित किया गया है । इसी प्रकार वर्ष 2010-11 में भी 500 छात्रावास एवं आश्रमों को आदर्श छात्रावास एवं आश्रम के रूप में स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें 489 छात्रावास/आश्रमों का चयन कर आदर्श छात्रावाम/आश्रम के रूप में स्थापित किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में भी 500 छात्रावाम/आश्रम लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3. युवा कैरियर निर्माण योजना :-

युवा कैरियर निर्माण योजना अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को बैंकिंग, रेल्वे भर्ती एवं कर्मचारी चयन आयोग इत्यादि द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए जा रहें हैं। प्रत्येक केन्द्र में 100-100 अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रथम बैच के अभ्यार्थियों में से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा यथा-- बैकिंग, रेल्वे भर्ती बोर्ड इत्यादि में अंतिम रूप से 18 प्रतिभागियों का विभिन्न पदों पर चयन हुआ है। उल्लेखनीय है कि इनमें से 4 प्रतिभागियों का बैंक प्रोबेसनरी/समकक्ष पद पर चयन हुए हैं।

योजना अंतर्गत रायपुर में 100, बिलासपुर में 90, तथा जगदलपुर में 86 चयनित अभ्यर्थी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेशित है, जहाँ अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग प्रदान की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु रु. 229.20 लाख, अनुसूचित जाति हेतु रु. 128.20 लाख एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु रु. 76.20 लाख का प्रावधान रखा गया है।

4. सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष-2009 :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केन्द्र एवं राज्य की सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करने हेतु "सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009" वर्ष 2010-11 में प्रारंभ की गई है।

इसके अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग/छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की किसी भी स्तर में सफल होने पर संबंधित आयोग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र या अधिकृत दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरान्त निम्नानुसार राशि एकमुश्त प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है :-

अ. अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा :- प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु रुपये 1,00,000/-(रूपये एक लाख) मात्र.

ब. राज्य सिविल सेवा परीक्षा :-

प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर	मुख्य परीक्षा में सफल होने पर
रुपये 10,000/- (दस हजार मात्र)	रुपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)

1. यह राशि किसी भी प्रयास में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु दी जाएगी।
2. अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी को राज्य स्तर/जिला स्तर पर स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस समारोह में प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

योजनान्तर्गत अभ्यर्थी की पात्रता का परीक्षण कर स्वीकृति आयक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दी जाएगी एवं जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा निर्देशित बजट शीर्ष से राशि आहरित कर संबंधित को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा।

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना को वर्ष 2010 में स्वीकृति प्रदान किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर वर्ष 2010-2011 में 05 अभ्यर्थियों को रु. 5.00 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

5. आदिवासी यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली :-

देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु एवं दिल्ली स्थित शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन हेतु आवासीय एवं मेस सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से राशि रु. 14.81 करोड़ की लागत से 100 सीटर आदिवासी यूथ हॉस्टल द्वारका, नई दिल्ली में निर्माण किया गया है। वर्ष 2013-14 से इस यूथ हॉस्टल में छत्तीसगढ़ निवासी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यार्थियों को आवासीय सुविधा का लाभ मिलेगा तथा इस प्रदेश के अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के युवाओं को दिल्ली में रहकर अपने उत्कृष्ट कैरियर के निर्माण का स्वप्न साकार करेगा।

6. मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना :-

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों के अध्ययन एवं सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है। नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के अध्ययन के लिए दंतेवाड़ा में संचालित "आस्था" गुरुकुल विद्यालय को इसी योजना में समाहित किया गया है। इस विद्यालय में नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों को कक्षा 12वीं तक अध्ययन की निःशुल्क व्यवस्था है। नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवार के बच्चों को स्वस्थ शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध कराने बाबत् किए जा रहे शासकीय प्रयासों के अतिरिक्त स्वयं सेवी संस्थाओं का जन सहयोग प्राप्त करके चरणबद्ध रूप से विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के इस भाग को "निष्ठा" नाम दिया गया है। नक्सल हिंसा से प्रभावित 7 जिलों के कक्षा 10वीं उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालय "प्रयास" रायपुर में प्रवेश दिलाकर कक्षा 11वीं,12वीं में अध्ययन के साथ-साथ आई.आई.टी.,ए.आई.ई.ई.ई., पी.एम.टी.,पी.ई.टी. की कोचिंग प्रदान की जा रही है। वर्ष 2011-12 में 02 (एस.आर.ई.) जिलों कोरिया तथा जशपुर के विद्यार्थी भी योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के घटक "सहयोग" के अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिलों के कक्षा 11वीं एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है, जिससे वे अपना अध्ययन निरंतर रख सकें। वर्ष 2012-13 तक विभिन्न घटक योजनाओं क्रमशः आस्था में 203 विद्यार्थी, निष्ठा में 137 विद्यार्थी तथा प्रयास अंतर्गत 322 छात्र, 137 छात्राएँ लाभान्वित होकर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेशित/अध्ययनरत हैं। घटक योजना प्रयास अन्तर्गत संचालित प्रयास बालक आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर के प्रथम बैच के विद्यार्थियों का विभिन्न परीक्षाओं का परिणाम सराहनीय रहा है। वर्ष 2012 में आयोजित छ.ग.मा.शि.मण्डल 12वीं बोर्ड परीक्षा में संस्था के परीक्षा में सम्मिलित 250 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार बोर्ड

जयप्रकाश
IIT-780

सूर्यप्रकाश
IIT-405

परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहा। इतना ही नहीं इनमें से 171 विद्यार्थी (68%) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।

वर्ष 2012 की IIT-JEE परीक्षा में संस्था के 02 छात्र अच्छी रैंक के साथ उत्तीर्ण हुए साथ ही AIEEE परीक्षा में संस्था के 151 छात्रों ने सफलता प्राप्त की।

7. शासकीय बुनियादी आदर्श विद्यालय, नारायणपुर :-

500 सीटर बालक शासकीय बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 500 सीटर कन्या शासकीय बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना वर्ष 2012-13 में नारायणपुर जिले में की गई है। उक्त विद्यालय में वर्ष 2013-14 में प्रथम चरण में कक्षा छठवीं एवं नवमीं में प्रवेश दिया जाएगा। इससे प्रदेश के दूरस्थ अंचल के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के साथ हायर सेकेण्डरी स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।

शासकीय बुनियादी बालक तथा कन्या आदर्श आवासीय विद्यालय नारायणपुर के उद्घाटन के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण

8. विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना

नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के बस्तर क्षेत्र के 07 आदिवासी जिलों में विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के विषय शिक्षकों के अभाव को दूर कर योग्यतम शिक्षक तैयार करना तथा इस क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा "विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना" आगामी वर्ष से प्रारंभ की जा रही है जिसके अंतर्गत 500 सीटर बालिका शिक्षण केन्द्र जगदलपुर जिला मुख्यालय में तथा 500 सीटर बालक शिक्षण केन्द्र दुर्ग जिला मुख्यालय में स्थापित करने हेतु भवन निर्माणाधीन है। इन शिक्षण केन्द्रों में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा निजी कोचिंग संस्थाओं से ई.ओ.आई. प्राप्त कर प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चुनी गई संस्था के माध्यम से कराया जाएगा। प्रत्येक शिक्षण केन्द्र में प्रतिवर्ष 125 बालक/बालिकाओं का कक्षा 8वीं के प्राप्तांक के आधार पर कक्षा 9वीं में तथा 125 बालक/बालिकाओं को कक्षा 10वीं के प्राप्तांक के आधार पर कक्षा 11वीं में प्रवेश पाने की पात्रता होगी।

इन शिक्षण केन्द्रों में छात्र-छात्राओं को उ.मा. स्तर की नियमित शिक्षण सुविधा के अलावा कक्षा 12वीं में अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार कराया जाएगा। अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में चयनित छात्र-छात्राओं के पश्चात् केन्द्र से उत्तीर्ण अन्य छात्र-छात्राओं को विशेष प्रोत्साहन देकर महाविद्यालयीन शिक्षा में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। महाविद्यालयीन शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् इन्हीं छात्र-छात्राओं से अनुसूचित क्षेत्र में रिक्त "विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों" के प्राध्यापकों/शिक्षकों की पद पूर्ति किए जाने की संभावना है।

कक्षा 9वीं 10वीं के बालकों को भी कन्याओं की भाँति निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें अगले शिक्षा सत्र से दिए जाने हेतु योजना विचाराधीन है।

भाग - छः

14. आगामी शिक्षण सत्र के लिए प्रस्तावित नवीन योजना

प्रयास आवासीय विद्यालय, जगदलपुर एवं सरगुजा :-

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा रायपुर मुख्यालय में 'प्रयास' बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। इस संस्था के प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों के कक्षा दसवीं उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं की नियमित शिक्षा के साथ-साथ आई.आई.टी./ए.आई.ई.ई.ई. एवं ए.आई.पी.एम.टी./पी.एम.टी. इत्यादि परीक्षाओं की कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। एक ही परिसर में उपरोक्त पूर्री सुविधाएँ उपलब्ध कराने से विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में उल्लेखनीय सुधार पाया गया है।

वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों के अधिकांश हाईस्कूलों में विज्ञान विषयों के पद रिक्त होने के कारण अधिकांश विद्यार्थियों में विज्ञान विषयों की नींव मजबूत नहीं हो पा रही है। ऐसी दशा में कक्षा आठवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की चयन परीक्षा आयोजित कर जिलों के विभिन्न विद्यालयों से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयनित कर कक्षा नवमीं एवं दसवीं की शिक्षा के लिए प्रथमतः जगदलपुर एवं सरगुजा जिले मुख्यालय में 250-250 सीटर प्रयास आवासीय बालक/कन्या विद्यालय का संचालन आगामी सत्र 2013-14 से किया जाना प्रस्तावित है। 250 सीट में से 150 सीट छात्र एवं 100 सीट छात्राओं के लिए होगी। यह विद्यालय रायपुर में संचालित प्रयास आवासीय बालक एवं कन्या विद्यालय हेतु फीडर संस्था के रूप में भी कार्य करेगी। इन विद्यालयों में शालेय शिक्षा के अतिरिक्त अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग सुविधा कक्षा नवमीं से ही प्रारंभ कर दी जाएगी। जिससे उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी का बोर्ड/प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम और भी अच्छा हो सकेगा।

नवीन कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना :-

बालिकाओं के शिक्षा को प्रोन्नत करने के दृष्टि से प्रदेश के जनजातिय क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने एवं गुणवत्ता मूलत शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013-14 में राज्य के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में 5 कन्या शिक्षा परिसर कक्षा 6वीं से 12वीं तक प्रारंभ किए जाना प्रस्तावित है। इन शिक्षा परिसरों के माध्यम से दूरस्थ जनजातीय अंचलों की छात्राओं को कक्षा 6वीं से 12वीं तक महत्वपूर्ण शिक्षा निःशुल्क आवासीय एवं मेस सुविधा सहित प्राप्त होगी। उक्त कन्या परिसर निम्नांकित स्थलों में खोला जाना प्रस्तावित है :-

1. भनपुरी -जिला बस्तर
2. सूरजपुर - जिला सूरजपुर
3. भोरमदेव - जिला कबीरधाम
4. बीजापुर - जिला बीजापुर
5. बहीगाँव - जिला कोण्डागाँव

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु आवासीय सुविधा :-

युवा कैरियर निर्माण योजना अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को बैंकिंग, रेल्वे भर्ती एवं कर्मचारी चयन आयोग इत्यादि द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए जा रहें हैं। प्रत्येक केन्द्र में 100-100 अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। इन प्रतिभागियों के सुविधापूर्ण आवास हेतु वर्ष 2013-14 में बिलासपुर और जगदलपुर स्थित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में 100-100 सीटर नवीन छात्रावास निर्माण की योजना प्रस्तावित है।

छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि :-

प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 3री से 10वीं तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति की दरों में दोगुनी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार प्री मैट्रिक छात्रावास तथा आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के मेस संचालन में सुविधा एवं गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध कराने की दृष्टि से शिष्यवृत्ति की वर्तमान दर रु. 650.00 से बढ़ाकर रु. 750.00 किया जाना प्रस्तावित किया है तथा पो0मै0 छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों हेतु भोजन सहाय योजना की वर्तमान राशि रु. 200.00 में दोगुनी वृद्धि करते हुए रु. 400.00 किया जाना प्रस्तावित है।

भाग - सात

15. सारांश

संविधान की पाँचवीं अनुसूचित के अधिकारों एवं आदिवासी क्षेत्रों के हितों को संरक्षण विभाग का प्रमुख दायित्व है। विभाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्गों की शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए योजनाबद्ध तरीकों से अनेक योजनाओं का सतत् क्रियान्वयन कर रहा है। परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में आशातीत सफलताएँ मिली हैं। राज्य बनने के पश्चात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग की सांस्कृतिक विरासत तथा आस्था स्थलों के संरक्षण एवं विकास को चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। जनसंख्या के अनुपात में बहुआयामी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इन वर्गों का सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना विभाग की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। इस हेतु विभाग द्वारा अनेक अभिनव योजनाएँ संचालित की जा रही है। शैक्षणिक उत्थान के साथ स्वरोजगारमूलक योजनाओं के माध्यम से आर्थिक आत्म निर्भरता तथा सामाजिक समरसता स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। राज्य मुख्यालय पर "प्रयास" जैसे संस्था के संचालन से आदिवासी वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बेहतर कैरियर निर्माण हेतु नये अवसर खुले हैं। प्रयास विद्यालय के छात्रों की उल्लेखनीय उपलब्धियों ने बस्तर तथा सरगुजा जैसे प्रदेश के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के शैक्षणिक विकास को नई दिशा प्रदान की है एवं इन दूरस्थ जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को उच्च एवं तकनीकि शिक्षा के प्रति विशेष जागृति उत्पन्न की है।

विभाग आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए भी कटिबद्ध है। इन क्षेत्र में आदिवासियों के व्यापक हित में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों के माध्यम से जनजातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इनमें स्थानीय आदिवासी जनप्रतिनिधि भी नामांकित किए गए है ताकि वे क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं का जनजाति समुदाय के हित में निर्धारण कर सकें। जिससे विभिन्न विकास विभागों के उपयोजना कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हों सकें। आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों तथा आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय विकास व अधोसंरचना निर्माण के कार्यों को गतिशील करने के लिए राज्य में तीन प्राधिकरण भी गठित किए गए हैं। जिसके माध्यम से स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अनुकरणीय प्रयास हुए हैं। प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक/आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप विभाग तथा छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एव विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार मूलक कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्र में कार्यरत विशेष संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

विकास की असीम संभावना से युक्त छत्तीसगढ़ राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करने हेतु आदिवासी हित में बेहतर कार्य करने की प्रतिबद्धता एवं प्रबल इच्छाशक्ति से अभिप्रेरित होकर राज्य सरकार के विभागों और उपक्रमों ने पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए नीतियों, योजनाओं एवं तौर-तरीकों में परिवर्तन/परिमार्जन किए हैं। आदिवासी विकास परियोजनाओं तथा अभिकरणों की स्वशासी समितियों तथा जनजाति सलाहकार परिषद के मार्गदर्शन में अभिनव योजनाओं के निर्माण एवं संचालन इस विभाग द्वारा किए गए नवाचार के प्रमाण हैं। यह ही नहीं अब शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदाय के विशिष्ट उपलब्धियों को रेखांकित किया जाने लगा है। विकास की इस यात्रा में हम चुनौतियों को सामना करते हुए निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं।